



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

UPSC – CSE

(संघ लोक सेवा आयोग)

(हिंदी माध्यम)

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु



भाग – 5

समाजशास्त्र + विश्व का इतिहास + आज़ादी के बाद का भारत

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “UPSC-CSE (IAS/IPS/IFS) (हिंदी माध्यम)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य)” में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशक:

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp कीलिए - <https://wa.link/6bx90g>

Online Order कीलिए - <https://shorturl.at/5gSVX>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	समाज	1
2.	भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ	3
3.	महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका - परिचय - प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में महिलाएं - महिला मुक्ति आंदोलन - विधायी अधिनियम - भारत में महिलाओं का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल - महिला संगठन - सरकार की प्रतिक्रिया - भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम - भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति - राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से, कृषि में महिलाएं	20
4.	गरीबी और विकास से संबंधित मुद्दे	37
5.	वैश्वीकरण के भारतीय समाज पर प्रभाव	50
6.	सामाजिक सशक्तिकरण	66
7.	सांप्रदायिकता / समाजवाद	78
8.	धर्मनिरपेक्षता - परिचय - ऐतिहासिक दृष्टिकोण - धर्मनिरपेक्ष परंपराएं - गांधीवादी परिप्रेक्ष्य - नेहरूवादी परिप्रेक्ष्य - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का परिप्रेक्ष्य - भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता - भारतीय धर्मनिरपेक्षता बनाम पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता	80
9.	क्षेत्रवाद	88

विश्व इतिहास

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य परिचय	91
2.	सामंती व्यवस्था	92
3.	पुनर्जागरण	99
4.	प्रबुद्धता युग / प्रकाशयुग परिचय	105

	• आधुनिक विचारों का प्रसार • धर्म, समाज, कानून, राजनीति, अर्थशास्त्र	
5.	पूँजीवाद और औद्योगिक क्रांति • पूँजीवाद की परिभाषा • औद्योगिक और कृषि क्रांति • कार्ल मार्क्स: कट्टरपंथी समाजवाद / साम्यवाद • सारांश	110
6.	राष्ट्र-राज्यों का उदय • नेपोलियन बोनापार्ट का उदय • राष्ट्र-राज्य के मॉडल: इंग्लैंड और फ्रांस • राष्ट्र-राज्यों के उदय का प्रभाव	117
7.	समाजवाद का उदय और विकास	121
8.	अमेरिकी क्रांति	127
9.	फ्रांसीसी क्रांति	139
10.	रूसी क्रांति	153
11.	चीनी क्रांति	163
12.	नेपोलियन	166
13.	यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय	183
14.	प्रथम विश्व युद्ध : पहला विश्व युद्ध (1914-1918)	187
15.	द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945)	193
16.	दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि	205
17.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संधियाँ - UNO, NATO और EU	217
18.	शीत युद्ध का दौर और प्रमुख घटनाएँ	222
19.	शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ (USSR) का विघटन	228
20.	साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण	232
21.	लैटिन अमेरिका	241
22.	अफ्रीका - अफ्रीका के लिए संघर्ष • अफ्रीका का विउपनिवेशीकरण • आंतरिक और बाहरी कारण • दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटिश पश्चिम अफ्रीका, घाना (गोल्ड कोस्ट), नाइजीरिया, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, फ्रेंच अफ्रीका	249
23.	एशिया • एशिया का विउपनिवेशीकरण • म्यांमार, इंडो-चीन, इंडोनेशिया • वामपंथी मोड़ • जापानी आक्रमण • इंडोनेशियाई राष्ट्रीय क्रांति, मलेशिया, फिलीपींस	257
24.	तीसरी दुनिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय	266

25.	अरब दुनिया: अरब-इजरायल युद्ध, स्वेज संकट और अन्य प्रमुख घटनाक्रम	269
-----	--	-----

स्वतंत्रता के बाद भारत

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया और इसकी चुनौतियाँ - स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियाँ - शरणार्थियों का पुनर्वास और सांप्रदायिक दंगे - स्वतंत्रता के बाद नेहरू के महत्वपूर्ण वक्तव्य	284
2.	विभाजन और उसके बाद	284
3.	रियासतों का एकीकरण - परिचय - भारत में रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया - सरदार पटेल की भूमिका 1947 से पहले महत्वपूर्ण राज्य का विलय 1947 के बाद शेष भारतीय राज्यों का विलय - फ्रांसीसी कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों का विलय - पुर्तगाली	288
4.	विरासत - औपनिवेशिक और राष्ट्रीय आंदोलन - औपनिवेशिक विरासत - भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व के साथ एकीकरण - भारतीय बुर्जुआ का उदय - शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाएं - कानूनी प्रणाली - सशस्त्र सेनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन की मूल विशेषताएँ और विरासत	292
5.	राजभाषा का मुद्दा - आधिकारिक भाषा का पाठ्यक्रम - संविधान की भूमिका - आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 - शिक्षा आयोग 1966 की रिपोर्ट	300
6.	राज्यों का भाषाई पुनर्गठन - भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन - न्यायमूर्ति एसके धर आयोग 1948 - जेवीपी समिति 1949 - फजल अली आयोग 1953 - राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956	302

7.	भारत में आदिवासियों का एकीकरण	304
8.	उत्तर-पूर्व के आदिवासी	306
9.	आर्थिक असंतुलन और क्षेत्रवाद • योजना आयोग अब नीति आयोग • हिंदू कोड बिल 1956 • कानून की धाराएं	311
10.	उपनिवेश से लोकतंत्र तक • चुनावी राजनीति का उदय • भारत एक लोकतांत्रिक और गणराज्य राष्ट्र • सरकार और प्रधानमंत्री की सूची 1947-2025 • लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना • प्रशासनिक नियंत्रण • सामाजिक परिवर्तन • शिक्षा • पंचायती राज	313
11.	कांग्रेस का प्रभुत्व (1947-1977)	317
12.	विपक्षी दलों का उदय	318
13.	गठबंधन का युग / गठबंधन की राजनीति • भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत • 1977 का चुनाव • सरकार का गठन	321
14.	भारत की विदेश नीति • परिचय • पंचशील • नेहरू के तहत विदेश नीति • कोरिया युद्ध, इंडो चीन, स्वेज नहर, हंगरी, कोंगो, यूएसए, सोवियत संघ	322
15.	गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)	324
16.	पाकिस्तान के साथ संबंध	226
17.	भारत-चीन संबंध	229
18.	भारत-श्रीलंका संकट (1987)	330
19.	भारत की परमाणु नीति • पृष्ठभूमि • 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षण	332
20.	आर्थिक विकास • भारतीय अर्थव्यवस्था • स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था • 1947-1965 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था • मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल • औद्योगिक नीति 1948, 1956, 1977, 1980, 1991	333

	• आईआरडीए अधिनियम 1951 • विश्वेश्वरैया योजना • इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) • नेशनल प्लानिंग कमीशन (NPC) • महत्वपूर्ण योजनाएं • योजना आयोग • राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) • पाँच वर्षीय योजनाएँ • नीति आयोग 2017-2032 • 1960 के दशक के मध्य में संकट और प्रतिक्रिया • फेरार् अधिनियम • दीर्घकालिक प्रतिबंध: सुधार की आवश्यकता	
21.	आर्थिक सुधार 1991 के बाद • पृष्ठभूमि • नई आर्थिक नीति, 1991 • उदारीकरण • वैश्वीकरण • निजीकरण • आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया और परिणाम • महत्वपूर्ण आर्थिक विकास	342
22.	स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में महत्वपूर्ण मुद्दे • शास्त्री युग • इंदिरा गांधी युग • 1971 के आम चुनाव की ओर • भारत में आपातकाल (1975-77) • आपातकाल के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम • आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन • 38, 39, 41, 42 संविधान संशोधन	345
23.	नक्सलवादी आंदोलन	352
24.	भारत में सांप्रदायिक घटनाएँ • पृष्ठभूमि • अयोध्या विवाद 1990 • गुजरात दंगे 2002 • सिख विरोध दंगे 1984 • असम हिंसा 2012 • मुजफ्फरनगर दंगा 2013 • दिल्ली दंगे 2019 • भोपाल गैस त्रासदी 1984 • शाह बानो मामला • बोफोर्स घोटाला	353
25.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986	355

26.	क्षेत्रीय असंतोष • जम्मू और कश्मीर समस्या • पंजाब समस्या उत्तर-पूर्वी भारत की समस्याएँ • असम समझौता	356
27.	भारत में लोकप्रिय आंदोलन / घटनाएँ • भूमि सुधार • कुमारप्पा समिति 1948 • जमींदारी और बिचौलियों का उन्मूलन • किरायेदारी सुधार • संवैधानिक सुरक्षा • भूदान आंदोलन	361
28.	सहकारी समितियाँ और सामुदायिक विकास कार्यक्रम	365
29.	ऑपरेशन फ्लड	368
30.	स्वतंत्रता के बाद से कृषि संघर्ष • श्रीकाकुलम किसान विद्रोह • नया किसान आंदोलन • कृषि विकास और हरियाली क्रांति	369
31.	भारतीय खाद्य निगम (FCI)	371
32.	पर्यावरणीय आंदोलन	376
33.	महिला आंदोलन • चिपको आंदोलन • नर्मदा बचाओ आंदोलन • साइलेंट वेली आंदोलन • मछली पालन आंदोलन	378
34.	मूल्य वृद्धि विरोधी आंदोलन - मदिरा विरोधी आंदोलन	379
35.	दलित आंदोलन	381
36.	स्वतंत्रता के बाद भारत की समयरेखा (1947-2020)	384

अध्याय - 1

समाज क्या है?

समाजशास्त्रियों के अनुसार, **समाज** को लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक सामान्य क्षेत्र के भीतर परस्पर संवाद करते हैं और समान संस्कृति को साझा करते हैं।

मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज में रहना अनिवार्य है। मनुष्य सामूहिक, प्रजननशील, भाषाई कुशलता का स्वामी है और विभिन्न आवश्यकताएँ रखता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वह एक साथ रहने के लिए विवश होता है। इस परस्पर नेटवर्क ने समाज या सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि समाज एक ऐसा संगठन है जहाँ व्यक्ति अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साथ रहते हैं।

- **"समाज मनुष्य और मनुष्य के बीच हर इच्छित संबंध को समाहित करता है।"**
- **मैकाइवर:** "समाज शब्द का अर्थ है सामंजस्यपूर्ण या कम से कम शांतिपूर्ण संबंध।"
- **डॉ. जेक्स:** "समाज वह संपूर्ण समूह है जो राष्ट्र में स्वैच्छिक संगठनों या संघों का है, उनके विभिन्न उद्देश्यों और संस्थानों के साथ।"

अब हम समाज के प्रमुख तत्वों - **सामाजिक समूह, भूभाग, संवाद, और संस्कृति** को बेहतर ढंग से समझेंगे:

1. भूभाग (Territory):

अधिकांश देशों की औपचारिक सीमाएँ और क्षेत्र होते हैं, जिन्हें विश्व पहचानता है। हालाँकि, समाज की सीमाएँ भौगोलिक या राजनीतिक नहीं होती। समाज के सदस्य और गैर-सदस्य किसी विशेष भूमि को उस समाज का हिस्सा मानते हैं।

2. संवाद (Interaction):

समाज के सदस्यों को एक-दूसरे के साथ संपर्क में आना चाहिए। यदि एक देश के भीतर किसी समूह का दूसरे समूह से नियमित संपर्क नहीं है, तो वे समान समाज का हिस्सा नहीं माने जा सकते। भौगोलिक दूरी और भाषाई बाधाएँ समाजों को विभाजित कर सकती हैं।

3. संस्कृति (Culture):

एक ही समाज के लोग अपनी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे भाषा, विश्वास, और मूल्यों को साझा करते हैं। **संस्कृति** का अर्थ है भाषा, मूल्य, विश्वास, व्यवहार और भौतिक वस्तुएँ, जो किसी समुदाय की जीवन शैली को परिभाषित करती हैं। यह समाज का एक प्रमुख तत्व है।

4. सामाजिक समूह (Social Group):

यह दो या अधिक व्यक्तियों का एक साथ आना और परस्पर संवाद करना है, जहाँ वे एक-दूसरे की पहचान को स्वीकार करते हैं और समझते हैं।

<https://www.infusionnotes.com/>

भारतीय समाज के बारे में

भारत एक विशाल देश है जिसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। इसे उपमहाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें महासागर, समुद्र, पहाड़, पठार, मैदान, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान हैं। इसमें एक महाद्वीप की सभी विशेषताएँ हैं फिर भी यह इतना बड़ा नहीं है कि इसे महाद्वीप कहा जा सके। इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय समाज सामाजिक जीवन के लगभग हर पहलू में विविधता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चाहे वह धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति, क्षेत्र, वर्ग या जाति हो।

हर जगह भिन्नता है फिर भी हम एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। यह विविधता पहली सभ्यता से लेकर वर्तमान तक पाई जाती है। भारतीय विविधता **"बिना आत्मसात्करण के समायोजन"** की कहावत के साथ पूरी तरह मेल खाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में राष्ट्र की अखंडता को भंग किए बिना प्रत्येक पहचान के लिए एक स्थान है।

भारत ने हमेशा विभिन्न संस्कृतियों और लोगों का स्वागत किया है और उन्हें अपने विशाल हृदय में समाहित किया है। आर्यों से लेकर यूरोपीय लोगों तक आपको भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रभाव मिल सकते हैं। भारत अपनी विविधता में एकता का श्रेय अपने संविधान को देता है। भारतीय संविधान प्रत्येक अलग पहचान को महत्व देता है और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखता है। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह **"लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा"** के आदर्श वाक्य के तहत बनाया गया है।

यह विविधता में **एकता के सिद्धांत** पर आधारित है। भारतीय समाज को समझने के लिए हमें पहले भारतीय संविधान को समझना होगा। इसलिए आइए इसका अवलोकन करें और भारत के संविधान की किन्हीं पाँच मुख्य विशेषताओं का भी वर्णन करें।

भारत एक पदानुक्रमित समाज है। जाति समूहों में, व्यक्तियों के बीच और परिवार और रिश्तेदारी समूहों में सामाजिक पदानुक्रम स्पष्ट है। जातियाँ मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी हैं, लेकिन मुस्लिम, भारतीय, ईसाई और अन्य धार्मिक समुदायों में भी जाति जैसे समूह मौजूद हैं।

1. परंपरा का आधुनिकता के साथ विलय

वैश्वीकरण अपने साथ आधुनिक मूल्यों और प्रथाओं की एक लहर लेकर आया होगा, लेकिन पारंपरिकता अभी भी भारत में प्रचलित और संरक्षित है। भारतीय समाज की परंपराएँ भी वैश्वीकरण के उन्हीं द्वारों से बाहरी दुनिया में पहुँच गई हैं।

2. भारतीय समाज समकालिक और गतिशील है

पिछले कुछ वर्षों में, कई जनजातियों ने भारतीय समाज की मुख्य आबादी में आत्मसात्करण के कारण अपनी मूल स्वदेशी संस्कृति खो दी है। विभिन्न संस्कृतियों के साथ इस तरह के संपर्कों ने नई प्रथाओं को भी जन्म दिया। समाज गतिशील है क्योंकि यह हर दिन बदल रहा है।

3. विविधता में एकता का अंतर्निहित विषय

भारत समाज ने स्वतंत्रता के बाद के उन राजनीतिक विचारकों की शंका को चुनौती दी, जो भारत के एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने को लेकर संदेहास्पद थे, जिनके अनुसार यहां विभिन्न जातीय समूहों, भाषाओं, संस्कृतियों और विविधताओं के बीच एकजुटता असंभव थी। संविधान में निहित मुख्य मूल्यों, राज्य द्वारा भाषा के आधार पर पुनर्गठन और सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों ने इस एकता को बनाए रखने में मदद की है।

4. पितृसत्ता

पितृसत्ता एक ऐसा परिवारिक व्यवस्था है, जिसमें सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति परिवार के पुरुष प्रमुख/सदस्यों के पास होती है।

पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है। यह व्यवस्था महिलाओं के लिए अपमानजनक है; यह समाज की महिला वर्ग के सामाजिक और भावनात्मक विकास में रुकावट डालती है। लिंग भेदभाव महिलाओं के लिए एक सार्वभौमिक प्रतिबंधक है।

5. समाज मुख्य रूप से कृषि प्रधान और ग्रामीण है

भारत की आधी से अधिक जनसंख्या के लिए कृषि आज भी जीविका का मुख्य स्रोत है। अनुमानित 70% भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

6. वर्ग और जाति का विभाजन

जाति एक सामाजिक श्रेणी है जिसके सदस्य एक निर्धारित सामाजिक पदानुक्रम में एक स्थायी स्थिति प्राप्त करते हैं और जिनके संपर्क उसी के अनुसार सीमित होते हैं। यह सामाजिक वर्गीकरण का सबसे कठोर और स्पष्ट रूप से श्रेणीबद्ध प्रकार है। इसे अक्सर बंद वर्ग प्रणाली के सबसे चरम रूप के रूप में संदर्भित किया जाता है। जातिवाद प्रणाली के विपरीत, खुली वर्ग प्रणाली को एक निरंतरता के विपरीत छोर पर रखा जा सकता है। सामाजिक वर्ग को एक अमूर्त श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें व्यक्तियों को उनके सामाजिक स्थिति के अनुसार स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में कोई ठोस विभाजन रेखा नहीं होती।

7. सहनशीलता और आपसी सम्मान है

भारतीय समाज ने विविधता का सामना करते हुए अपनी सहनशीलता और आपसी सम्मान के समावेशी मूल्यों की बदौलत जीवित किया है, जो प्राचीन समय से अस्तित्व में रहे हैं। उन अनगिनत आक्रमणकारियों ने जिन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि बनाया, विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण और सह-अस्तित्व की दिशा में योगदान किया।

भारतीय समाज के भीतर परिवर्तन और उनके परिणाम
 कई कारक हैं जो भारतीय समाज में निरंतरता और परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। परिवर्तन अनुकूलन या एकीकरण के माध्यम से हो सकता है। अनुकूलन तब होता है जब मौजूदा

संस्थाएँ नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर से समायोजित होती हैं। एकीकरण तब होता है जब एक समाज एक नए तत्व को अपनाता है और उसे अपना हिस्सा बनाता है। भारतीय समाज में परिवर्तन के दस मुख्य कारक। कारक हैं:

भौगोलिक कारक (भौतिक वातावरण)

भौतिक वातावरण और समाज में परिवर्तन के बीच एक सकारात्मक संबंध है। बाढ़, अकाल, भूकंप, महामारी, आग, भारी वर्षा, सूखा, गर्म या ठंडी जलवायु, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, बवंडर, सुनामी आदि जैसे भौतिक वातावरण का प्रभाव समाज और उसके लोगों के जीवन को बदल देता है।

- उदाहरण के लिए, उत्तरी भारत में बाढ़ के परिणामस्वरूप बह गए गाँवों के स्थान पर आदर्श गाँवों का जन्म हुआ है।

1949 में उड़ीसा में सुपर चक्रवात - प्रभावित लोगों के जीवनशैली में बदलाव का कारण बना। लाहौर के नुकसान से आधुनिक और शानदार शहर चंडीगढ़ का जन्म हुआ। इसके अलावा, प्राकृतिक संसाधनों की थकावट दुनिया के लोगों के जीवन के तरीकों में आमूल परिवर्तन लाती है। इसलिए, जलवायु, स्थलाकृति, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता या अनुपलब्धता, संचार के साधन आदि जैसे भौगोलिक और पर्यावरणीय कारक किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन, संस्कृति, व्यवसाय आदि पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं।

भौतिक या आर्थिक कारण

एक समाज कृषि आधारित या औद्योगिक, ग्रामीण या शहरी हो सकता है, जिसे भौतिक कारकों से जोड़ा जा सकता है, अर्थात् उत्पादन के बलों का प्रभाव—ये उत्पादन के संबंध में परिवर्तन का कारण बनते हैं। उत्पादन के बलों और उत्पादन के साधनों के बीच के आपसी प्रभाव ही समाज में नए सामाजिक आदेश के उदय के लिए जिम्मेदार हैं—सामाजिक संरचना में परिवर्तन।

प्रगतिशील अर्थव्यवस्था हमेशा एक प्रतिस्पर्धात्मक समाज का निर्माण करती है, जिसमें विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष होता है ताकि वे प्रगतिशील अर्थव्यवस्था से लाभ प्राप्त कर सकें। वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण आर्थिक चक्र में उतार-चढ़ाव से एक नए सामाजिक आदेश का उदय होता है, जहां एक देश के लोगों की जीवनशैली में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है।

जनसांख्यिकी कारण

जनसंख्या सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनसंख्या जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन दर, जीवन की लंबाई आदि द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रवास और भोजन की कमी सामाजिक परिवर्तन लाती है। जनसंख्या विस्फोट के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें सामाजिक संरचना में बदलाव आता है, जिसमें आर्थिक संस्थाएँ और संघ भी शामिल होते हैं। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात (लिंग

अनुपात) विवाह, परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति को बुरी तरह प्रभावित करता है।

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय कारण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन के प्रभावी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, समुदाय संगठन, संचार के साधन, भौतिक पर्यावरण आदि के क्षेत्र में आविष्कारों के कारण विज्ञान में हुई प्रगति, लोगों के जीवनशैली में बदलाव और उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन का कारण बनती है। इसके परिणामस्वरूप, एक देश के लोग और उनकी जीवनशैली दूसरे देशों के लोगों और उनके जीवनशैली से प्रभावित होते हैं। भाप शक्ति और पेट्रोल का आविष्कार, जल विद्युत उत्पादन, वायरलेस का आविष्कार आदि ने लोगों के जीवन में बदलाव लाए।

वैचारिक कारक

विचार और विचारधाराएँ समाज में परिवर्तन के कारण में योगदान करती हैं। यह 1789 में था कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के महान दार्शनिकों, जे.जे. रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू द्वारा प्रचारित और घोषित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शक्तिशाली विचारों द्वारा लाई गई थी। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति और 18वीं शताब्दी में यूके में औद्योगिक क्रांति ने उनके संबंधित समाजों में आमूल परिवर्तन लाया। फासीवाद, सांप्रदायिकता, समाजवाद, गांधीवाद, लोकतंत्र जैसी विचारधाराओं का समाज के मौजूदा स्वरूपों पर एक दृश्यमान प्रभाव पड़ता है।

धार्मिक बहुलवाद: भारत में विभिन्न धार्मिक समूह

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें दुनिया के विभिन्न धर्मों का समावेश है, जो आगे जाकर कई संप्रदायों और पथों में विभाजित हैं। भारत में धर्म धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं की विविधता से परिचालित है। भारतीय उपमहाद्वीप चार विश्व धर्मों—हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म का जन्मस्थान है।

इसके अलावा, हिंदू धर्म के विभिन्न रूप जैसे वैष्णववाद, शैववाद आदि का पालन किया जाता है। इस्लाम में भी कई रूप जैसे शिया, सुन्नी मत का पालन किया जाता है। आदिवासी समूहों द्वारा एनिमिस्टिक और प्रकृतिवादी धर्मों का पालन भी किया जाता है। इस प्रकार, विभिन्न धर्मों की बहुलता है और प्रत्येक धर्म के अपने विशेष सिद्धांत, त्योहार और रीति-रिवाज हैं।

कानूनी उपाय

कई प्रकार के सामाजिक विधायिका उपायों को पेश किया गया है, उदाहरण के लिए, **अपवित्रता (अपराध) अधिनियम, 1955** ने अपवित्रता की प्रथा के खिलाफ दंड का प्रावधान किया।

अध्याय - 2

भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ:

परिचय

- भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है, जिसमें एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है, जो **जातीय, भाषाई, धार्मिक और जातिवादी** विभाजनों की एक बड़ी संख्या से विशिष्ट है। इसमें ग्रामीण, शहरी, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग और सभी वर्ग शामिल हैं जो भारतीयता की भावना को धारण करते हैं।
- राष्ट्र में इतनी सारी विविधताओं और जटिलताओं के बीच, व्यापक रूप से स्वीकार्य सांस्कृतिक विषय, एकता की भावना, भाईचारे और संविधान के मूल्य व्यक्तियों को जोड़ते हैं और सामाजिक सद्भाव और व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।
- स्वतंत्रता के बाद, सांस्कृतिक समानता, भाषाई पहचान और अन्य आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन की कई मांगें भारत के विभिन्न हिस्सों से उठी थीं।
- हालांकि सरकार ने विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन किया और नए राज्य भी बनाए, फिर भी सांस्कृतिक इकाइयाँ आज तक भारत में संरक्षित रही हैं।
- भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय और बहु-विचारधारात्मक संरचनाओं का उदाहरण है, जो सह-अस्तित्व में हैं, एक ओर समन्वय बनाने की कोशिश करते हुए और दूसरी ओर अपनी विशिष्टता बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

समाज का अर्थ:

- समाजशास्त्री पीटर एल. बर्जर समाज को "एक मानवीय उत्पाद, और केवल एक मानवीय उत्पाद के रूप में परिभाषित करते हैं, जो फिर भी लगातार अपने उत्पादकों पर कार्य करता है।"
- समाज को **आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक या सांस्कृतिक** बुनियादी ढाँचे के रूप में चित्रित किया जा सकता है, जो व्यक्तियों के विविध संग्रह से बना है। **एम. मैकाइवर (1937)** ने इसे "सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में भी परिभाषित किया है जो हमेशा बदल रहा है" जहाँ एक व्यक्ति इसकी मूल इकाई बनाता है।
- इसमें मनुष्यों के समूह शामिल हैं जो विशिष्ट प्रणालियों और रीति-रिवाजों, संस्कारों और कानूनों का उपयोग करके एक साथ जुड़े हुए हैं और उनका एक सामूहिक सामाजिक अस्तित्व है।

किसी भी समाज की विशेषताएँ:

एक समाज की विभिन्न विशेषताएँ निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे बड़े मानव समूह के रूप में समाज शामिल है, अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जहाँ हर कोई हर दूसरे सदस्य पर निर्भर है, वहाँ अपनेपन और सहयोग की भावना रखता है।

- जनसंख्या

- क्षेत्रीय आधार
- आपसी जागरूकता
- साझा संस्कृति
- मानसिक एकता

भारतीय समाज और इसकी विशेषताएं:

- भारतीय संस्कृति समय के साथ लगातार संशोधित होती रही है, जिससे भारत एक समग्र संस्कृति बन गया है।
- इन चार चरणों के दौरान संस्कृति पर नीचे चर्चा की गई है:
- भारतीय समाज प्राचीन काल से ही एक स्तरीकृत समाज था।
- ऋग्वेद में समाज के आर्यों और गैर-आर्यों में विभाजन का उल्लेख किया गया था। आर्य समाज को आगे व्यवसायों की खोज के आधार पर चार समूहों में विभाजित किया गया था।
- सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का यह विभाजन एक मानदंड और सामाजिक उपकरणों का एक हिस्सा बन गया।
- बाद में 12वीं शताब्दी से, मध्यकालीन भारत के शासकों ने नए रूप लाए जिससे भारतीय संस्कृति भाषा, संस्कृति और धर्म को प्रभावित करने वाले परिवर्तन से गुजरी।
- हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के टकराव के कारण सूफी लेखन, भक्ति आंदोलन, कबीर पंथ के परिणामस्वरूप दिलचस्प परिणामों और मिश्रित संस्कृति के साथ एक संश्लेषण हुआ।
- अंग्रेजों के आगमन ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अखिल भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण के पुनरुत्थान के एक नए चरण की शुरुआत की।
- आज भारत (स्वतंत्रता के बाद) ने विभिन्न जाति समूहों, धर्मों, जातियों, जनजातियों और भाषाई समूहों को एकीकृत किया है। यह स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी ढांचे में अपने लक्ष्यों के रूप में मान्यता देता है।

ऋग्वेदिक काल
मध्यकालीन काल
ब्रिटिश काल
उपनिवेशोत्तर काल
ब्राह्मण
क्षत्रिय
वैश्य संस्कृति और धर्म
शूद्र

भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं:

- बहुजातीय समाज
- बहुभाषीय समाज
- बहु-वर्गीय समाज
- पितृसत्तात्मक समाज
- विविधता में एकता

- जनजातियाँ
- परिवार
- रिश्तेदारी प्रणाली
- आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन
- व्यक्तिवाद और सामूहिकता के बीच संतुलन
- पारंपरिकता और आधुनिकता का सह-अस्तित्व

बहु-जातीय समाज:

- एक जातीय समूह या जातीयता लोगों की एक श्रेणी है जो एक-दूसरे के साथ पहचान करते हैं, आमतौर पर एक सामान्य भाषा या बोली, इतिहास, समाज, संस्कृति या राष्ट्र के आधार पर।
- विभिन्न प्रकार के नस्लीय समूहों के सह-अस्तित्व वाला समाज एक बहु-जातीय समाज है। भारत लगभग सभी नस्लीय प्रोफाइल का घर है।
- सदस्यता को परिभाषित करने के लिए समूह पहचान के किस स्रोत पर जोर दिया जाता है, इसके आधार पर, निम्नलिखित प्रकार के समूहों की पहचान की जा सकती है:
- **जातीय-भाषाई:** साझा भाषा, बोली (और संभवतः लिपि) पर जोर देना। उदाहरण: फ्रांसीसी कनाडाई।
- **जातीय-राष्ट्रीय:** एक साझा राजनीति या राष्ट्रीय पहचान की भावना पर जोर देना - उदाहरण: ऑस्ट्रियाई।
- **जातीय-नस्लीय:** आनुवंशिक उत्पत्ति के आधार पर साझा शारीरिक बनावट पर जोर देना - उदाहरण के लिए, अफ्रीकी अमेरिकी।
- **जातीय-क्षेत्रीय:** सापेक्ष भौगोलिक अलगाव से उत्पन्न होने वाले अपनेपन की एक विशिष्ट स्थानीय भावना पर जोर देना - उदाहरण: न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप वासी।
- **जातीय-धार्मिक:** एक विशेष धर्म, संप्रदाय या पंथ के साथ साझा संबद्धता पर जोर देना - उदाहरण: यहूदी।

बहुभाषी समाज:

- अधिकांश वर्तमान समाज बहुभाषी हैं, जिनमें भाषाओं में विविधता है।
- भाषा पहचान का एक प्रमुख स्रोत है, इतना अधिक कि राज्यों में भारत का वर्तमान स्वरूप भारत के भाषाई मानचित्र का प्रतिनिधित्व करता है।
- बहुभाषावाद के विभिन्न कारण हो सकते हैं:
- हिंदी देश की आधिकारिक भाषा होने के बावजूद, संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है।
- भारत में 1600 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। हालांकि, उपयोग में आने वाली भाषाओं की संख्या बहुत अधिक है, और 2011 की जनगणना ने इंडो-यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्बती-बर्मी और सेमी टू-हैमिटिक परिवारों की लगभग 122 भाषाओं की पहचान की।

बहु-वर्गीय समाज:

कक्षा प्रणाली एक समाज का स्तरीकरण है जो शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय/कार्य आदि पर आधारित होता है। सामान्यतः तीन कक्षाएँ होती हैं - उभरती कक्षा प्रणाली,

हालांकि जाति व्यवस्था से काफी मेल खाती है, ने दबे-कुचले वर्गों को सामाजिक उन्नति के अवसर प्रदान किए हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार - "मनुष्य एक वर्गीय प्राणी है," अर्थात्, उसका समाज में स्थिति, उम्र, शिक्षा आदि समान नहीं होती।

- श्रमिकों का प्रवास (मुलायम श्रम)
- सांस्कृतिक संपर्क
- अधिग्रहण और उपनिवेशवाद
- क्षेत्रीय विजय आदि
- उच्च वर्ग
- मध्य वर्ग
- निम्न वर्ग

पितृसत्तात्मक समाज:

पितृसत्तात्मकता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों के पास मुख्य शक्ति होती है और वे महिलाओं से अधिक स्थिति का आनंद लेते हैं। इस व्यवस्था में पुरुष समाज और अपने परिवार में सभी निर्णय लेते हैं, सभी शक्तिशाली पदों और अधिकारों पर काबिज होते हैं और उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। **भारतीय समाज अधिकांशतः** पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पुरुषों को महिलाओं से अधिक स्थिति प्राप्त होती है। हालांकि, कुछ आदिवासी समाज मातृसत्तात्मक होते हैं, जहाँ महिलाओं के पास प्रमुख निर्णय लेने की शक्ति होती है।

- महिलाएँ समान काम के लिए पुरुषों से 20% कम वेतन प्राप्त करती हैं। वे आज भी घरेलू हिंसा की एक चौकाने वाली उच्च दर का सामना करती हैं, जो भारत के पितृसत्तात्मक समाज की संस्कृति को प्रकट करती है।
- इसके अलावा, पुरुष संतान की प्राथमिकता भी एक उदाहरण है जो पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाता है।
- हालांकि, कुछ स्थानों पर पितृसत्तात्मकता अन्य स्थानों से अधिक कठोर होती है, जहाँ महिलाओं को धर्म और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं के नाम पर विकास के अवसरों से वंचित कर दिया गया है।
- भारत में महिलाओं के पास अपने घरों में भी बहुत कम स्वतंत्रता होती है, वे समाज में असमान और निम्न स्थिति में होती हैं, और घर के पुरुषों के नेतृत्व में रहने के लिए बाध्य होती हैं।
- विभिन्न रिपोर्टों में यह संकेत दिया गया है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत निम्न होने के कारण बलात्कार, हत्या, दहेज, जलाना, पत्नी-पीटने, और भेदभाव जैसी घटनाएँ आम हो गई हैं, जो पुरुषों द्वारा महिलाओं पर किए जाने वाले वर्चस्व को दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग तीन दशकों पहले भारत में वयस्क पुरुष साक्षरता दर वयस्क महिला साक्षरता दर से लगभग दोगुनी थी। हालांकि वर्षों में इस अंतर में काफी कमी आई है, फिर भी वयस्क पुरुष साक्षरता दर, वयस्क महिला साक्षरता दर से 17 प्रतिशत अंक अधिक है।

विविधता में एकता:

- "विविधता में एकता" एक वाक्यांश है जो विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य जनसंख्या संबंधित भिन्नताओं वाले लोगों के बीच एकता को व्यक्त करता है।
- यह एकता और हम-नेस की भावना को व्यक्त करता है।
- भारत में, विभिन्न धर्मों के लोग एक-दूसरे के धर्म के आदर्शों और मूल्यों का सम्मान करते रहे हैं, और इस प्रकार, भारत हमेशा एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है, जो इस दुनिया में हर किसी को अपनी बाहों में समेटने के लिए तैयार है।
- भारत में विविधता विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में विद्यमान है।
- विविधता में एकता में योगदान देने वाले विभिन्न कारक निम्नलिखित हो सकते हैं
 - भौगोलिक कारक
 - सांस्कृतिक कारक
 - धार्मिक कारक
 - राजनीतिक कारक
 - भाषा कारक

विविधता में एकता का उदाहरण

- महान संत **शंकराचार्य** ने पूरे देश को एकजुट किया था, जब उन्होंने दक्षिण भारत के पुजारियों से उत्तर भारत के मंदिरों में पूजा करने को कहा और उत्तर भारत के पुजारियों से भी दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा करने को कहा।
- स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने, जो स्वयं एक हिंदू थे, बाइबिल के बारे में गहन अध्ययन किया था और विश्व धर्म महासभा, शिकागो में इसके बारे में बात की थी।
- विभिन्न संस्कृतियों, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक स्थिति के लोग, जो शांति और सामंजस्य में एक साथ रहते हैं, "विविधता में एकता" का आदर्श उदाहरण हैं।

विविधता में एकता का महत्व

- विविधता में एकता कार्यस्थल, संगठन और समुदाय में लोगों का मनोबल बढ़ाती है।
- यह स्वस्थ मानवीय संबंधों को सुधारती है और सभी के लिए समान मानव अधिकारों की रक्षा करती है।
- यह देश की समृद्ध धरोहर को मूल्य प्रदान करती है और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत और समृद्ध करती है।
- यह देश के लोगों में राष्ट्रीय एकता की आदत को जन्म देती है, भले ही वे विभिन्न तरीकों से विविध हों।

रिश्तेदारी, विवाह और परिवार:

रक्त संबंधों और रिश्तेदारी के बंधनों का अन्य सामाजिक संबंधों पर एक मजबूत अधिकार है।

रिश्तेदारी:

- रिश्तेदारी रक्त संबंधों (सगोत्र/ संज्ञानात्मक) या विवाह (संबंधात्मक) के आधार पर बने संबंधों और रिश्तेदारों के एक समूह को संदर्भित करती है।

अध्याय - 3

महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका

ईडन के बाग में जो पहला पाप हुआ, वह महिला का था। उसने मना किया हुआ फल चखा, आदम को बहकाया और तब से वह इसके लिए सजा भुगत रही है। उत्पत्ति में भगवान ने कहा, "मैं तुम्हारे दुख और गर्भाधान को बहुत बढ़ा दूँगा; दुख में तुम संतान उत्पन्न करोगी; और तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पति की ओर होगी, और वह तुम्हारे ऊपर शासन करेगा।"

- पवित्र बाइबल

परिचय:

- भारत, जो महात्मा गांधी को अपनी नैतिकता का आदर्श मानता था, अब इतना हिंसक और भ्रष्ट हो चुका है कि महिलाएं अब अपने शरीर में सुरक्षित नहीं रह सकतीं। गांधी, जिन्होंने अहिंसा पर भरोसा करके श्वेतों को हराया और भूरे लोगों को बचाया, को राष्ट्रपिता माना जाता है, लेकिन आज उनकी मूल्यों का इतना उल्लंघन हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर बीस मिनट में एक महिला का बलात्कार हो रहा है और पांच साल के बच्चे भी बलात्कार का शिकार हो रहे हैं।
- भारत में महिलाओं की स्थिति ने भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों में कई बदलाव देखे हैं।
- राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी से लेकर घरेलू दायरे में धकेलने तक, और फिर आज के समय में सुपर-विमेन के रूप में उनके पुनर्निर्माण तक, हमारी देश की महिलाओं ने सब कुछ देखा है।
- महिलाओं की स्थिति कानून के तहत ऊँची हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे अब भी भेदभाव, उत्पीड़न और अपमान का सामना करती हैं।
- हालांकि प्रकृति ने महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान महत्वपूर्ण भूमिका दी है, पुरुषों ने उन्हें कई तरीकों से अधीन बना दिया है।

भारत में महिलाएं:

भारत में महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ हजार वर्षों में भारी बदलाव से गुज़री है। प्राचीन समय में भारतीय महिलाएं अपने परिवारों के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। मध्यकाल में, जिसे 'अंधकार युग' कहा जाता है, महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आई। उन्हें बाहर जाने और दूसरों के साथ घुमने की अनुमति नहीं थी। उन्हें घर में रहकर बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा जाता था।

भारत में लड़कियों की जल्दी शादी की परंपरा थी। स्वतंत्रता के बाद, महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे आईं और शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आए। स्वतंत्रता के बाद भारत को समय-समय पर जिन जटिलताओं का सामना करना पड़ा, उसका

ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखा गया। लेकिन समकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति में एक असंगति सी प्रतीत होती है।

प्राचीन भारत में महिलाएं:

- **सिंधु घाटी सभ्यता** - माँ देवी की पूजा माताओं के प्रति सम्मान को दर्शाती है। समाज में पुरुषों के साथ समान सम्मान दिया जाता था। महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था।
- **ऋग्वेदिक काल** - पुरुषों के साथ पूर्ण स्वतंत्रता और समानता का आनंद लेना जारी रखा, पत्नी का स्थान घर में सम्मानित था। धार्मिक समारोहों में पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ।
- **उत्तर वैदिक काल** - विवाह और शिक्षा का अधिकार समान रहा, धार्मिक समारोहों में शक्ति कम होती जा रही है, धार्मिक समारोहों का संचालन तेजी से पुजारियों द्वारा किया जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप घर में उनकी प्रमुख स्थिति खो गई।
- यह वह काल था जब कर्मकांडों का महत्व बढ़ा और साथ ही ब्राह्मणों का भी महत्व बढ़ा।
- इस काल में कर्मकांडों का महत्व बढ़ा और साथ ही ब्राह्मणों का भी महत्व बढ़ा।
- पुत्र की इच्छा जारी रही, सती प्रचलित नहीं थी। महिलाओं की स्थिति ऋग्वेदिक काल की तुलना में उतनी उच्च नहीं थी।
- महिला श्रमिक रंगाई, कढ़ाई और टोकरी बनाने में शामिल थीं।
- **उपनिषद् काल** - इस काल में उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच विवाह प्रचलित था।
- पानिनी के अभिवादन (घर के बुजुर्गों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में अभिवादन) के नियम दर्शाते हैं कि घर में निम्न जाति की पत्नियों की उपस्थिति और उच्च जाति की महिलाओं के साथ उनका जुड़ाव स्त्री संस्कृति के सामान्य स्तर को नीचे लाया और उनकी स्थिति में गिरावट आई।
- **सूत्र और महाकाव्य के दौरान** - दुल्हन की उम्र परिपक्व होती है, 15 या 16 से अधिक। विस्तृत संस्कार दर्शाते हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन था न कि एक अनुबंध। गृह्यसूत्र विवाह के लिए उचित मौसम, वर-वधू की योग्यता आदि के बारे में विस्तृत नियम देते हैं।
- महिलाओं को गाने, नाचने और जीवन का आनंद लेने की अनुमति थी। सती आम तौर पर प्रचलित नहीं थी।
- कुछ परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी। आपस्तंब ने एक पति पर कई दंड लगाए हैं जो अन्यायपूर्ण तरीके से अपनी पत्नी को छोड़ देता है। दूसरी ओर, अपने पति को छोड़ने वाली पत्नी को केवल तपस्या करनी पड़ती है।

महाकाव्यों से प्रमाण:

रामायण, महाभारत और पुराणों के साथ मिलकर भारत में महाकाव्य साहित्य का निर्माण करते हैं। इस समय के दौरान, महिला को एक जीवित वस्तु माना जाता था, जिसे दांव पर रखा जा सकता था और खरीदी या बेची जा सकती थी। इसका उदाहरण है पांडवों द्वारा द्रौपदी की बोली। लेकिन हमें रामायण और महाभारत से इसके बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण भी मिलते हैं।

- भीष्म कहते हैं कि इस समय महिलाओं का सम्मान किया जाता था।
- सीता को भारत की पांच आदर्श और पूजनीय महिलाओं में से एक माना जाता है, अन्य चार हैं अहिल्या, द्रौपदी, तारा और मंडोदरी।
- महाभारत में कुछ संदर्भ हैं जो दर्शाते हैं कि महिलाएं धार्मिक और सामाजिक सवालों पर पुरुषों को मार्गदर्शन देती थीं।
- एक महिला को किसी भी समय स्वतंत्रता के लिए अनुपयुक्त माना जाता था, क्योंकि उसे जीवनभर सुरक्षा की आवश्यकता होती थी।

मौर्य साम्राज्य के दौरान:

- महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रमाण कौटिल्य का **अर्थशास्त्र** है, जो **चंद्रगुप्त मौर्य** के ब्राह्मण प्रधान मंत्री थे।
- यह कहता है कि महिलाओं को स्त्रीधन का अधिकार था, जो विवाह के समय महिला को उसके माता-पिता द्वारा दिया गया उपहार होता था और बाद में पति द्वारा बढ़ाया जाता था।
- स्त्रीधन आमतौर पर आभूषण के रूप में होता था, जो कई सांस्कृतिक समूहों के बीच अतिरिक्त संपत्ति को ले जाने का एक सुविधाजनक तरीका था, लेकिन इसमें अचल संपत्ति के कुछ अधिकार भी हो सकते थे।
- विवाह एक भौतिक और धार्मिक दोनों ही संस्थान था।
- विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी। जब वे पुनर्विवाह करती थीं, तो वे अपने मृतक पतियों से प्राप्त संपत्ति पर अधिकार खो देती थीं।
- निम्न वर्ग की महिलाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है, केवल कुछ टिप्पणियाँ मिलती हैं जो श्रमिक महिलाओं और विधवाओं और **"दोषपूर्ण लड़कियों"** के लिए कथा बनाने का काम देने की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

गुप्त साम्राज्य के दौरान:

- गुप्त साम्राज्य को भारतीय संस्कृति का शास्त्रीय युग माना जाता है क्योंकि इस दौरान साहित्यिक और कलात्मक उपलब्धियाँ बहुत महत्वपूर्ण थीं। महिलाओं की भूमिका पर कुछ जानकारी **"कामा सूत्र"** से मिलती है, जो सुख प्राप्त करने के कई तरीकों का एक मार्गदर्शिका है, जो हिंदू पुरुषों के घरस्थ जीवन के दूसरे चरण में एक वैध लक्ष्य था।
- महिलाओं से अपेक्षाएँ थी कि वे शिक्षित हों, सेक्सुअल सुख दें और प्राप्त करें, और वफादार पतिव्रता बनें।

- वेश्या वर्ग की महिलाएं कविता और संगीत में प्रशिक्षित होती थीं, साथ ही सेक्सुअल सुख के कौशल में भी। उन्हें समाज के सम्मानित सदस्य माना जाता था।
- वेश्या महिलाएं वह एकमात्र श्रेणी थीं, जिन्हें शिक्षित होने की संभावना थी और कभी-कभी वे संस्कृत बोलने के लिए जानी जाती थीं।

मध्यकालीन भारत में महिलाएं:

यह मुख्य रूप से 500 वर्षों में फैले मुस्लिम शासकों का इतिहास है। मध्यकालीन काल में महिलाओं के सामाजिक जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों पर महिलाओं की निर्भरता इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी।

किसी भी शिक्षा के साधनों से वंचित, स्त्रीधन या दहेज तक की पहुंच खो देने के बाद, वे वस्तुतः शोषित वर्ग बन गईं, जिसके परिणामस्वरूप स्वयं और राष्ट्र के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। इस काल में समाज में एक अन्य सामाजिक बुराई बाल विवाह थी। मुस्लिम भारत में एक योद्धा वर्ग के रूप में प्रकट हुए। भारत में उनके शासन को दो युगों में विभाजित किया गया है;

- दिल्ली सल्तनत का युग
- मुगल युग

दिल्ली सल्तनत का युग:

- दिल्ली के सिंहासन पर कभी भी केवल एक महिला ने कब्जा किया था, वह थी रज़िया सुल्तान।
- सुल्ताना रज़िया न केवल एक बुद्धिमान शासक थीं बल्कि एक निडर साहस की महिला भी थीं।
- उन्होंने भारत में राजनीतिक रूप से सशक्त महिलाओं के लिए एक आदर्श की भूमिका निर्धारित की।

मुगल युग:

- मुगल युग में भारत ने कुछ प्रख्यात मुस्लिम महिलाओं का उदय देखा।
- **कुतुब निगार खानम** बाबर की माँ ने अपने बेटे बाबर को अपने पिता की विरासत की वसूली के लिए अपने कठिन अभियान के दौरान बुद्धिमानी से सलाह दी।
- **गुलबदन बेगम:** गुलबदन बेगम असाधारण काव्य प्रतिभा वाली महिला थीं जिन्होंने हुमायूँ नामा लिखा था।
- **नूर जहां:** नूर जहां ने राज्य में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वह भारत की सबसे महान मुस्लिम रानी थीं। वह सुंदरता और सैन्य वीरता का प्रतीक थीं।
- **चांद बीबी:** चांदबीबी, जो अहमदनगर के किले की प्राचीर पर पुरुषों की पोशाक में दिखाई दीं और स्वयं अकबर की शक्तियों के खिलाफ उस शहर के रक्षकों में साहस भर दिया।
- **ताराबाई:** ताराबाई, महाराष्ट्र की नायिका, जो औरंगज़ेब के अंतिम दृढ़ आक्रमण के दौरान महाराष्ट्र के प्रतिरोध की जीवन और आत्मा थीं।

- **मंगम्मल:** मंगम्मल, जिनका सौम्य शासन आज भी दक्षिण में एक हरी याद है, और अहिल्या बाई होल्कर, जिनकी प्रशासनिक प्रतिभा के लिए सर जॉन मैल्कम ने शानदार श्रद्धांजलि दी है।

भक्ति आंदोलन में महिलाएं:

उदार धारा, जिसने कुछ हद तक महिलाओं के क्षितिज को व्यापक बनाया, वह भक्ति आंदोलन थे, मध्यकालीन संतों के आंदोलन। महिला कवयित्री संतों ने भी बड़े पैमाने पर भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य युग के दौरान फले-फूले भक्ति आंदोलनों ने पुरुषों और महिलाओं के एक नए वर्ग को जन्म दिया, जिन्हें लिंग पूर्वाग्रह की बहुत कम परवाह थी।

- कई मामलों में, उन्होंने पतियों और घरों को पूरी तरह से छोड़कर, भटकते हुए भक्त बनने का विकल्प चुनकर पारंपरिक महिला भूमिकाओं और सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार कर दिया।
- कुछ उदाहरणों में उन्होंने अन्य कवि संतों के साथ समुदाय बनाए। उनका नया ध्यान पूर्ण भक्ति और अपने दिव्य पतियों की पूजा था।

इस अवधि के दौरान प्रसिद्ध महिलाएं:

- **जनाबाई:** जनाबाई का जन्म 13वीं शताब्दी के आसपास महाराष्ट्र में एक निम्न जाति के शूद्र परिवार में हुआ था। उन्हें भक्ति कवि संतों में सबसे सम्मानित में से एक, नामदेव के उच्च जाति के परिवार में काम करने के लिए भेजा गया था।
- **अक्कामहादेवी:** अक्कामहादेवी, जिन्हें अक्का या महादेवी के नाम से भी जाना जाता है, 12वीं शताब्दी ईस्वी में कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र की भक्त और शिव की भक्त थीं।
- **मीराबाई:** मीराबाई, या मीरा का जन्म एक शासक राजपूत परिवार में हुआ था। मीराबाई की कविता उनके बचपन में भगवान कृष्ण के दर्शन के बारे में बताती है; उसी समय से मीरा ने प्रतिज्ञा ली कि वह हमेशा उनकी दुल्हन रहेंगी।
- **बहिनबाई:** बहिनबाई 17वीं शताब्दी की महाराष्ट्र की कवयित्री थीं। अभंगों के रूप में लिखा गया, महिलाओं के गीत जो उनके श्रम के साथ थे, विशेष रूप से खेतों में। उनके लेखन विशेष रूप से आत्मकथात्मक हैं, जो उनके बचपन, यौवन और विवाहित जीवन का वर्णन करते हैं।

आधुनिक भारत में महिलाएं:

आधुनिक भारत उस समय को संदर्भित करता है जो 1700 ई. से 1947 ई. तक फैला हुआ था। आधुनिक भारत में महिलाओं पर मुख्य रूप से सुधार और उत्थान के कार्यक्रमों का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनके स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाया।

ब्रिटिश काल के दौरान:

भारतीयों के एक वर्ग द्वारा अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया गया, जिससे उन्हें पश्चिमी लोकतांत्रिक और उदारवादी

विचारधारा को आत्मसात करने में मदद मिली, जिसे उन्होंने बाद में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत के लिए उपयोग किया। इस अवधि से पहले महिलाओं की स्थिति बहुत निराशाजनक थी।

- ब्रिटिश काल के दौरान महिलाओं को शिक्षा देने का विचार सामने आया।
- भक्ति आंदोलन के बाद, ईसाई मिशनरियों ने लड़कियों की शिक्षा में रुचि ली।
- **हंटर कमीशन** ने 1882 में महिला शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।
- कलकत्ता, बंबई और मद्रास के संस्थानों ने 1875 तक लड़कियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी।
- 1882 के बाद ही लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी गई।
- तब से महिलाओं के बीच शिक्षा के स्तर में निरंतर प्रगति हुई है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में भारत में महिलाएं निम्नलिखित अक्षमताओं से पीड़ित थीं:

- बाल विवाह,
- बहुपत्नी प्रथा,
- विवाह के उद्देश्यों के लिए लड़कियों की बिक्री,
- विधवाओं पर गंभीर प्रतिबंध,
- शिक्षा तक पहुंच नहीं है
- स्वयं को घरेलू तक सीमित करना
- प्रसव कार्य।

सामाजिक कानून:

कई बुरी प्रथाएँ, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या, दहेज और बहुपत्निवाद ने महिलाओं के जीवन को काफी कष्टकारी बना दिया था। महिलाओं की स्थिति केवल उनके घर की चार दीवारी तक सीमित हो गई थी।

बाल विवाह:

बाल विवाह की प्रथा महिलाओं के लिए एक और सामाजिक कलंक थी। नवंबर 1870 में, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई। बाल विवाह के खिलाफ एक पत्रिका "महापाप बाल विवाह" (Child marriage: The Cardinal Sin) भी बी.एम. मलाबारी के प्रयासों से प्रकाशित की गई। 1846 में, लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु केवल 10 वर्ष थी।

- 1891 में, "आयु सहमति अधिनियम" के तहत इसे बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया।
- 1930 में, शारदा अधिनियम के तहत न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई।

कन्या भ्रूण हत्या:

यह विशेष रूप से राजस्थान, पंजाब और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में प्रचलित था।

- कर्नल टॉड, जॉनसन डंकन, मैल्कम और अन्य ब्रिटिश प्रशासकों ने इस बुरी प्रथा पर विस्तार से चर्चा की है।

- **अनुच्छेद 14** - पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे।
- **अनुच्छेद 15(1)** - धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव का निषेध करता है।
- **अनुच्छेद 15(3)** - राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने के लिए सक्षम बनाने वाला विशेष प्रावधान।
- **अनुच्छेद 16** - सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों में समान अवसर।
- **अनुच्छेद 23** - मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध।
- **अनुच्छेद 39(a)** - राज्य अपनी नीति को सभी नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा।
- **अनुच्छेद 39(d)** - पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन।
- **अनुच्छेद 42** - राज्य कार्य के न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा।
- **अनुच्छेद 51 (A)(e)** - महिलाओं की गरिमा के लिए हानिकारक प्रथाओं का त्याग करना।
- **अनुच्छेद 300 (A)** - महिलाओं को संपत्ति का अधिकार।
- **73वां और 74वां संशोधन अधिनियम 1992** - पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण।
 (जिस दिन 73वां संशोधन लागू हुआ यानी 24 अप्रैल को भी महिला सशक्तिकरण दिवस घोषित किया गया है।)

हालांकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे संविधान ने भारतीय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, अधिकार और सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अभी तक समाज में उन्हें उनका उचित स्थान प्रदान नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण 1970 के दशक में मुद्दों पर आधारित आंदोलन उठे थे और हाल ही में ये आंदोलनों फिर से जोर पकड़ने लगे हैं, जैसे दहेज विरोधी आंदोलन, बलात्कार विरोधी आंदोलन आदि।

भारत में महिलाओं की स्थिति के संकेतक

महिलाओं पर विभिन्न प्रकार का हिंसा होता है, जो महिलाओं की स्वतंत्र पहचान और गरिमा के लिए खतरे के रूप में कार्य करता है। हिंसा के प्रकार हैं:

- **महिला भ्रूण हत्या और कन्या हत्या** - ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, लांसेट के एक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में भारत में लगभग 10 मिलियन महिला गर्भपात हुए हैं, जो भारतीय मध्यवर्ग में भी प्रचलित है। स्वच्छेदन जैसी संगठनों इस जघन्य कृत्य के खिलाफ लोगों

को जागरूक करने और शिक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं।

• बलात्कार, यौन उत्पीड़न और यौन शोषण

यह महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है और इस धारणा को कायम रखता है कि महिलाएं कमजोर लिंग हैं। भारत में हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है! हाल ही में 16 दिसंबर दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, जस्टिस वर्मा पैनल की स्थापना हुई और मामले के तेजी से फैसले में मदद मिली। हालांकि दलित महिलाओं के बलात्कार के व्यापक मामले, एसिड हमले, छेड़खानी पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

- **घरेलू हिंसा और दहेज हत्या** - परिवार में महिलाओं पर हिंसा को पारिवारिक समस्या माना जाता था और हाल ही में तक इसे "महिलाओं के खिलाफ अपराध" के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। यह सभी वर्गों में प्रचलित है।

- **वेश्यावृत्ति** - बड़ी संख्या में महिलाएं बेसहारा या बलात्कार की शिकार हैं जिन्हें परिवार द्वारा त्याग दिया जाता है, वे जबरन वेश्यावृत्ति का शिकार हो जाती हैं। समाज की समस्या को कम करने के लिए कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है।

- **महिलाओं का वस्तुकरण** - महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखन, चित्रों आदि में महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है। हालांकि महिलाओं का एक बहुत बड़ा अश्लील प्रतिनिधित्व साहित्य, मीडिया, चित्रों आदि के माध्यम से किया जाता है जो "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार" को कायम रखता है।

भारत में महिलाओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल:

विश्व आर्थिक मंच के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत का वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2011 में 134 देशों में से 113 वें स्थान पर है, जबकि पड़ोसी देशों बांग्लादेश (69) और चीन (60) का स्थान बेहतर है।

- **लिंगानुपात** - लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं हैं, अर्थात् महिलाएं कुल जनसंख्या का मात्र 47% हिस्सा बनाती हैं। हरियाणा राज्य में भारत में सबसे कम लिंगानुपात है और आंकड़ा 1000 पुरुषों में 877 महिलाओं को दर्शाता है जबकि केरल में 1000 पुरुषों में 1084 महिलाओं के साथ सबसे अधिक है।

- **स्वास्थ्य** - अस्पताल में भर्ती और रिकॉर्ड पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि पुरुषों को लड़कियों की तुलना में अधिक चिकित्सा देखभाल मिलती है। 2% महिला आबादी पूर्णतः रक्तहीन है। देश की 12% महिला आबादी बार-बार गर्भावस्था (उनके उत्पादक जीवन का 80% गर्भावस्था में बीत जाता है) और कुपोषण से ग्रस्त है।

- **साक्षरता** - साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% है जबकि पुरुष साक्षरता दर 80% से अधिक है। जबकि केरल में 100% की उच्चतम महिला साक्षरता दर है, बिहार में केवल 46.40% के साथ सबसे कम है।
- **रोजगार** - कुल महिला जनसंख्या में से 21.9% भारतीय कार्यबल का हिस्सा है। अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि में कार्यरत हैं। ग्रामीण महिला श्रमिकों में से 87% कृषि में मजदूर, खेतिहर, स्वरोजगार आदि के रूप में कार्यरत हैं। अर्थात् असंगठित क्षेत्र में जो लगभग हमेशा अदृश्य रहता है। 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बावजूद, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, कम कुशल नौकरियों में कार्यरत हैं, कौशल प्रशिक्षण और पदोन्नति तक कम पहुंच है।
- **राजनीतिक स्थिति** - हालांकि भारत में एक महिला प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी रही हैं, लेकिन महिलाओं का संसद और अन्य राज्य एवं स्थानीय निकायों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। उच्च सदन में केवल लगभग 9 प्रतिशत और संसद के निचले सदन में लगभग 11 प्रतिशत महिलाओं के साथ, भारत महिला प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया में 99वें स्थान पर है। हालांकि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। पीआरआई में महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण। आज 30 मिलियन से अधिक महिलाएं जमीनी स्तर पर राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।
महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक: "आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिलाओं की समानता के अन्य पहलू पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकते" -
जवाहरलाल नेहरू

महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी की दर दशकों के दौरान घट रही है। इस गिरावट के कई कारण हैं:

- **महिलाओं के उत्थान के लिए व्यापक और तार्किक नीति का अभाव**, जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण और संसाधनों (जमीन, ऋण और तकनीक आदि) तक पहुंच।
- **पुरुषों को परिवार का मुख्य आय अर्जक मानने की धारणा**, हालांकि यह तथ्य है कि निम्न-आय वाले परिवारों में महिलाओं की आय जीवनयापन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह धारणा महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और नियोजित भी महिलाओं को सहायक श्रमिक के रूप में देखते हैं और इसी धारणा का लाभ उठाते हुए महिलाओं के लिए मजदूरी कम रखते हैं।
- **आर्थिक संरचना में बदलाव**, जैसे पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों का गिरना या औद्योगिकीकरण।
- **स्वयं के नाम पर संपत्ति (जमीन, घर) का अभाव**, जिससे महिलाओं को ऋण और आत्म-निर्भरता के अवसरों तक पहुंच नहीं मिल पाती।

- घर पर विभिन्न कार्यों जैसे बच्चे को जन्म देना और पालन-पोषण करना आदि के लिए महिलाओं के समय और ऊर्जा की भारी मांग के कारण उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और आत्म-विकास के लिए बहुत कम समय मिलता है।
- पुरुषों और महिलाओं के बीच श्रम का विभाजन और तकनीकी प्रगति महिलाओं के खिलाफ काम करती है। उन्हें सबसे अंत में काम पर रखा जाता है और सबसे पहले निकाल दिया जाता है।
- रोजगार और उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रम अधिकांश पुरुषों पर केंद्रित हैं और महिलाओं को सक्रिय भागीदारों के बजाय लाभार्थी के रूप में देखा जाता है।

महिला संगठन:

महिला आंदोलन के कारण कई कानून पारित किए गए जैसे कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम आदि, ताकि समाज में महिलाओं को समान स्थिति सुनिश्चित किया जा सके और महत्वपूर्ण रूप से कार्यस्थल पर। हालांकि, प्रमुख महिला कार्यबल (87% महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं) के बीच निरक्षरता, रोजगार खोने का डर और उनकी रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में जागरूकता की कमी, महिलाओं के लिए उनसे लाभ उठाना मुश्किल बनाती है। कुछ संगठन उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए महिला श्रमिकों को आवाज देने का काम कर रहे हैं:

- **स्वरोजगार महिला संगठन (सेवा/ SEWA)** - सेवा एक ट्रेड यूनियन है। यह देश के असंगठित क्षेत्र में गरीब, स्वरोजगार महिला श्रमिकों का एक संगठन है। वे असुरक्षित श्रमशक्ति हैं क्योंकि उन्हें संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तरह लाभ प्राप्त नहीं होता है। सेवा के मुख्य लक्ष्य पूर्ण रोजगार के लिए महिला श्रमिकों को संगठित करना है।
- **वर्किंग वुमन फोरम (WWF)** - मंच गरीबी में कमी और गरीब कामकाजी महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, माइक्रो-क्रेडिट, प्रशिक्षण, सामाजिक जुटान और अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से गरीबों को।
- **अन्नपूर्णा महिला मंडल (AMM)** - यह महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए काम करता है। यह विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करता है जिनमें महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, माता और शिशु देखभाल, परिवार नियोजन, साक्षरता और पर्यावरणीय स्वच्छता पर शिक्षित करना शामिल है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है और उन्हें अपने स्वयं के निर्णय लेने और सुरक्षा और अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम बनाता है। संगठन व्यक्तिगत और समूह नेतृत्व को भी बढ़ावा देता है।

सरकारी प्रतिक्रिया:

भारत में महिलाओं की स्थिति पर समितियाँ (CSWI) - यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव

- पीड़िता शारीरिक शोषण का शिकार होती है, और उसे मानसिक आघात भी सहना पड़ता है क्योंकि उसकी गरिमा का उल्लंघन किया जाता है।

बाल बलात्कार

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2011 तक कुल 48,338 बाल बलात्कार के मामले दर्ज किए गए।
- भारत में 2001 में 2,113 मामलों से 2011 में 7,112 मामलों तक बाल बलात्कार के मामलों में 336% की वृद्धि हुई।

बाल बलात्कार क्यों बढ़ रहे हैं?

- **रिपोर्टिंग में वृद्धि:** - बाल शोषण और बलात्कार के मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ी है क्योंकि जुड़ी हुई कलंक की भावना घट गई है।
- सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव बाल शोषण के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है।
- कई सेलेब्रिटीज द्वारा अपनी बचपन में हुए शोषण के बारे में खुलासा करने के उदाहरण (जैसे, निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ बलात्कार के आरोप) ने भी कई माता-पिता को रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया है।

नए आपराधिक कानून

- 2012 में POCSO का परिचय और 2013 में **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम** की शुरुआत ने बच्चों के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्टिंग में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- अब बलात्कार की परिभाषा में पहले की तुलना में कई और यौन क्रियाएं शामिल हैं जिन्हें पहले यौन हमले के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।
- लड़कियों के लिए सहमति की आयु को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि लड़के जो सहमति से सेक्स करते हैं, उन्हें बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया जा सकता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के जघन्य अपराधों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए विभिन्न अधिनियमों और नीतियों को देश भर में लागू किया जा रहा है, जैसे:

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत, किसी भी कार्यस्थल में 10 से अधिक कर्मचारियों के होने पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र बनाने की आवश्यकता होती है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा गाइडलाइन्स, जो नियोक्ताओं द्वारा उठाए जाने वाले उपायों को निर्धारित करती हैं, और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा **SHE Box** (ऑनलाइन शिकायतों के लिए) की शुरुआत।

घरेलू हिंसा और दहेज हत्या

- दहेज हत्याएं उन विवाहित महिलाओं की हत्याएं होती हैं जिन्हें उनके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के विवाद को लेकर लगातार उत्पीड़न और यातना दी जाती है, जिसके कारण वे आत्महत्या करने या हत्या का शिकार हो जाती हैं, जिससे महिलाओं के घर उनके लिए सबसे खतरनाक जगह बन जाते हैं।
- हाल ही में **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक दहेज हत्याएं उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट की गई हैं, इसके बाद बिहार का स्थान है।
- भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित तीन कानून हैं:
- महिला सुरक्षा अधिनियम, 2005।
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961, और
- भारतीय दंड संहिता की धारा 498A।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि घरेलू हिंसा कानून के तहत, यहां तक कि एक देवर भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला को भत्ते का भुगतान करने का आदेश दे सकता है यदि उन्होंने कभी भी एक संयुक्त परिवार के रूप में एक ही छत के नीचे एक साथ जीवन व्यतीत किया हो।

संबंधित मुद्दे

- शहरी क्षेत्रों में बदलते समाजिक-आर्थिक संबंध, जैसे कि कामकाजी महिला की आय उसके साथी से अधिक होना, ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न और अनदेखी, दहेज की मांग आदि।
- अधिकांश समय महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के लिए शापित किया जाता है और उन्हें उचित भोजन और वस्त्र से वंचित कर दिया जाता है, जबकि उन्हें पुनर्विवाह का अवसर भी नहीं दिया जाता।
- **पितृसत्तात्मक मानसिकता** - पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व और नियंत्रण, पुरुषों का विशेषाधिकार और महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति, बांझपन या पुरुष संतान की इच्छा।
- यदि महिलाओं की शिक्षा कम है, उनके बचपन में मां के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो, और हिंसा को स्वीकार करने का दृष्टिकोण हो, तो उन्हें अपने पार्टनर से हिंसा का शिकार होने की अधिक संभावना होती है।

घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सरकार के कदम

- इस अधिनियम ने घरेलू हिंसा की परिभाषा को बढ़ा दिया है, जिसमें शारीरिक हिंसा के अलावा मौखिक, मानसिक, यौन और आर्थिक हिंसा भी शामिल हैं।
- घरेलू हिंसा की परिभाषा व्यापक है - "घरेलू संबंध" में शादीशुदा महिलाएं, माताएं, बेटियां और बहनें शामिल हैं।
- यह कानून केवल शादीशुदा महिलाओं की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि यह लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं की भी

अध्याय - 9

फ्रांसीसी क्रांति



1789 में फ्रांस यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश था और **लुई XIV** के समय से ही धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहा था। इस आर्थिक विकास के बावजूद, यह सामाजिक और राजनीतिक रूप से अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ राष्ट्र था: सामाजिक रूप से, क्योंकि यह अभी भी लोगों के सामंती वर्गों में विभाजित था (पादरी - जो प्रार्थना करते हैं, कुलीन - जो लड़ते हैं, और किसान - जो काम करते हैं); राजनीतिक रूप से, क्योंकि उन पर अभी भी एक निरंकुश सम्राट का शासन था जो राजाओं के दैवी अधिकार में विश्वास करता था।

परिचय

1789 की **फ्रांसीसी क्रांति** को कई इतिहासकारों द्वारा मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। सरकार की पुरानी प्रणाली को पूरी तरह से अस्वीकार करने के बाद एक नए समाज के निर्माण के प्रयास ने क्रांति की विशेषता बताई। नया समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित होना था। आम लोगों के लिए एक नया जीवन का वादा करने की अपनी प्रक्रिया में, क्रांति के परिणामस्वरूप हिंसा और नरसंहार हुए। यहां तक कि राजा और रानी को भी फांसी दिए जाने से नहीं बख्शा गया।

पृष्ठभूमि और कारण

प्राचीन शासन (Ancien Régime)

फ्रांसीसी क्रांति से पहले का फ्रांस, क्रांति के बाद के फ्रांस से बहुत अलग था। "Ancien Régime" जिसका फ्रेंच में अर्थ है 'पुराना शासन/आदेश', उस संरचना, राजनीति और शक्तियों को संदर्भित करता है जो फ्रांसीसी समाज में क्रांति

से पहले मौजूद थी। यह शब्द क्रांति के दौरान गढ़ा गया था, जब लोग पुराने दिनों को या तो तिरस्कार के साथ या फिर अतीत की व्यवस्था के प्रति एक भावनात्मक लगाव के साथ याद कर रहे थे।

हालाँकि, फ्रांस में सामंतवाद (फ्यूडलिज्म) समाप्त हो चुका था, फिर भी उसकी छायाएँ अब भी फ्रांसीसी जीवन पर हावी थी। प्राचीन शासन के दौरान, फ्रांसीसी समाज कई अलग-अलग सामाजिक वर्गों में विभाजित था, जो एक सीढ़ी की तरह था। सबसे ऊपरी पायदान पर राजा था, जो स्वयं को **ईश्वरीय अधिकार (Divine Right)** के आधार पर देश पर पूर्ण शासन करने वाला मानता था। फ्रांस के सभी लोग उसके अधीन थे, और वह कानून का सर्वोच्च स्रोत था। वास्तव में, राजा को राजाओं और फ्रांस की प्रशासनिक संरचनाओं का काफी समर्थन प्राप्त था। क्रांति से ठीक पहले, बोर्बन वंश के **लुई सोलहवें (Louis XVI)** फ्रांस के शासक थे।

प्रथम श्रेणी (First Estate) - कैथोलिक चर्च

फ्रांस पूरी तरह से एक कैथोलिक राष्ट्र था, और चर्च न केवल धार्मिक मामलों बल्कि दान कार्यों, शिक्षा और रिकॉर्ड रखने की भी जिम्मेदारी निभाता था। चर्च करो से मुक्त था और अत्यधिक संपन्न था, जिसके कारण चर्च के कुछ सदस्य भ्रष्ट हो गए थे। हालाँकि, यह कहना गलत होगा कि सभी पादरी विलासिता में जीवन व्यतीत करते थे। उच्च श्रेणी के पादरी, जैसे बिशप और आर्चबिशप, अक्सर राजा के सलाहकार होते थे और उनके पास पर्याप्त राजनीतिक शक्ति होती थी। दूसरी ओर, निचले पादरी, जैसे गाँव के पुजारी, आम जनता के जीवन से अधिक जुड़े होते थे और वे निम्न वर्ग की परेशानियों व संघर्षों को अधिक समझते थे। वे अपने नैतिक कर्तव्यों को निभाते रहे, भले ही उनके उच्च अधिकारी नैतिक पतन में लिप्त थे। क्रांति के समय, इनमें से कई निचले पादरियों ने **तीसरी श्रेणी (Third Estate)** का समर्थन किया, जबकि उच्च श्रेणी के पादरी निरंकुश राजा के पक्ष में खड़े रहे। चर्च प्रथम श्रेणी (First Estate) का हिस्सा था, जबकि उच्च वर्ग के **कुलीन (nobles) द्वितीय श्रेणी (Second Estate)** में आते थे।

द्वितीय श्रेणी (Second Estate) - कुलीन वर्ग (Nobility)

कुलीन वे लोग थे जिन्हें वंशानुगत उपाधियाँ प्राप्त थीं, जैसे **ड्यूक (Duke)**, **काउंट (Count)**, **विस्काउंट (Viscount)**, **बैरन (Baron)**, और **शेवेलियर (Chevalier)**। कुछ कुलीन परिवारों की जड़ें प्राचीन मध्यकालीन योद्धाओं (knights) से जुड़ी थीं, जबकि अन्य सरकार के शीर्ष पदों पर काबिज थे। कुछ कुलीन ऐसे भी थे, जिन्होंने कभी आम नागरिक के रूप में व्यापार और वाणिज्य से धन अर्जित कर अपनी कुलीन उपाधियाँ खरीदी थीं। अधिकांश कुलीन बड़े भू-स्वामी थे और अत्यधिक धनी थे। वे शानदार जीवन जीते थे और उनके पास वस्त्र, कला और मनोरंजन की सर्वोत्तम सुविधाएँ थीं।

कुलीन वर्ग एक विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणी थी, जिसके पास बहुत अधिक शक्ति थी, लेकिन वे करों से बचते थे।

तृतीय श्रेणी (Third Estate) - सामान्य जनता

फ्रांस की अधिकांश जनसंख्या तृतीय श्रेणी (Third Estate) में आती थी।

तृतीय श्रेणी का सबसे ऊँचा वर्ग **उच्च मध्यवर्ग (Upper Middle Class)** था, जिसमें वकील, चिकित्सक, शिक्षक, लेखक और व्यापारी शामिल थे। हालाँकि यह वर्ग फ्रांस की 96% जनसंख्या का हिस्सा था, फिर भी यह स्वयं कई वर्गों में बँटा हुआ था। **बुर्जुआ (Bourgeoisie)** वे संपन्न सामान्य नागरिक थे, जो व्यापार या अन्य पेशों में संलग्न थे। उनके पास कुछ धन संपत्ति होती थी, और वे कभी-कभी धन देकर **कुलीन उपाधि (noble rank)** या **निम्न स्तर** के सरकारी पद खरीद सकते थे।

इस वर्ग के लोग उच्च वर्गों के विशेषाधिकारों से नाराज रहते थे, खासकर उन भारी करों से, जो केवल उन पर लगाए जाते थे। यही वह वर्ग था जिसने विशेषाधिकारों को समाप्त करने की माँग की। जब यह संवैधानिक तरीकों से संभव नहीं हुआ, तो उन्होंने क्रांति का सहारा लिया।

सबसे निचले पायदान पर किसान (Peasants) थे। ये लोग कुलीनों (nobles) की ज़मीनों पर काम करते थे या शहरों में मजदूर या भिखारी के रूप में कठिन जीवन व्यतीत करते थे। वे बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे भोजन और कपड़ों तक के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन फिर भी उन पर भारी कर लगाए जाते थे।

किसानों की दयनीय स्थिति

फ्रांस में किसानों की दयनीय स्थिति का सबसे बड़ा कारण **अस्थिर कर व्यवस्था** थी। राजा द्वारा संचालित **एक शाही परिषद (Royal Council)** गुप्त रूप से **भूमि कर (Land Tax)** बढ़ाने का निर्णय ले सकती थी, और किसानों के पास इसका कोई कानूनी प्रतिरोध करने का अधिकार नहीं था।

जब किसानों से कर चुकाने की माँग की जाती, तो उनके पास धन नहीं होता, और वे अदालतों में अपील करते। लेकिन अदालतें हमेशा सरकार के पक्ष में निर्णय देतीं, जिससे किसानों को **कारावास (imprisonment)** झेलना पड़ता। किसान स्वभाव से विद्रोही नहीं थे और सभी प्रकार के अपमान सहन कर लेते थे।

लेकिन **1788-89 के भयंकर अकाल (Drought)** ने उनकी सहनशक्ति की अंतिम सीमा पार कर दी और उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपनाया। यह स्पष्ट था कि फ्रांसीसी समाज सामाजिक असमानताओं और भेदभाव से ग्रस्त था।

शहरों में कार्यरत लगभग **ढाई मिलियन कारीगर (Artisans)** अधिकतर गिल्डों (Guilds) में संगठित थे, लेकिन उनके लिए बनाए गए नियम उद्योगों के विकास के अनुकूल नहीं थे।

घटनाओं का क्रम (Trace the Events)

- **फ्रांस में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी थी।** आर्थिक असमानता फ्रांसीसी क्रांति (French Revolution) के प्रमुख कारणों में से एक थी।
- **अमेरिकी क्रांति (American Revolution) से प्रेरित होकर** और स्वतंत्रता (Liberty), समानता (Equality) तथा लोकतंत्र (Democracy) जैसे प्रबुद्धता (Enlightenment) के विचारों से प्रभावित होकर, फ्रांसीसी जनता ने **लुई सोलहवें (Louis XVI)** की सरकार को उखाड़ फेंका और एक नया राजनीतिक तंत्र स्थापित किया।
- **1799 में सत्ता हथियाने के बाद, नेपोलियन (Napoleon)** ने एक विशाल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसमें पश्चिमी यूरोप का अधिकांश हिस्सा शामिल था। लेकिन रूस पर विजय प्राप्त करने के उसके प्रयास ने अंततः उसकी हार सुनिश्चित कर दी।

फ्रांसीसी क्रांति के कारण (Causes of the French Revolution)

फ्रांस में एक साथ तीन बड़े संकट आए—एक **सामाजिक (Social)**, दूसरा **राजनीतिक (Political)** और तीसरा **आर्थिक (Economic)**।

सामाजिक कारण (Social Causes)

- **सामाजिक असमानता (Social Inequality):** अठारहवीं सदी के फ्रांस में समाज को तीन वर्गों (Estates) में विभाजित किया गया था।
 1. **पहली श्रेणी (First Estate) - पादरी वर्ग (Clergy):** जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त और करों से मुक्त।
 2. **दूसरी श्रेणी (Second Estate) - कुलीन वर्ग (Nobility):** विशेष अधिकार प्राप्त और करों से मुक्त।
 3. **तीसरी श्रेणी (Third Estate) - सामान्य जनता:** व्यापारी, किसान, कारीगर और मजदूर, जिन्हें भारी कर चुकाने पड़ते थे।
- **मजबूत मध्यवर्ग (Strong Middle Class) - अठारहवीं सदी में एक नया शिक्षित और समृद्ध मध्यवर्ग उभरकर सामने आया।** यह मानता था कि समाज में किसी भी वर्ग को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए। समानता और स्वतंत्रता के विचार महान दार्शनिकों ने प्रस्तुत किए, जिससे क्रांति की आग और भड़क उठी।
- **राजनीतिक कारण (Political Causes)**
 - **लुई सोलहवें का कमजोर नेतृत्व (Weak Character of Louis XVI):**
 - **लुई सोलहवें (Louis XVI)** उस समय फ्रांस का राजा था जब क्रांति हुई। वह निर्णय लेने में अक्षम, कमजोर और संकोची था। हालाँकि वह निजी जीवन में अच्छा था, लेकिन शासन करने की उसकी क्षमता नहीं थी।
 - **बुर्जुआ वर्ग (Bourgeoisie)** ने कुलीनों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की माँग की। लेकिन राजा ने कुलीनों का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखाई, जिससे क्रांति की आवश्यकता और बढ़ गई।

- **लंबे युद्धों से आर्थिक संकट (Financial Crisis Due to Wars)** - लंबे समय तक चले युद्धों ने फ्रांस की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया।
- **फ्रांस पर 2 अरब लिब्रे (Livres)** से अधिक का कर्ज था। सेना, दरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को कर बढ़ाने पड़े, जिससे जनता में भारी असंतोष फैल गया।

आर्थिक समस्याएँ (Economic Problems)

- **जनसंख्या वृद्धि और खाद्य संकट:**
1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, जो 1789 तक बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। इससे अनाज की माँग बढ़ गई, और रोटी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। मजदूरी बढ़ती कीमतों के साथ नहीं बढ़ी, जिससे **आजीविका संकट (Subsistence Crisis)** उत्पन्न हुआ।
- **वित्तीय संकट (Financial Crisis):**
- फ्रांस की सरकार पर आर्थिक संकट का सीधा खतरा मंडरा रहा था।
- स्थिति तब और खराब हो गई जब फ्रांस ने अपनी सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद अमेरिकी उपनिवेशवादियों (American Colonists) की मदद करने का निर्णय लिया। महारानी मैरी एंटीनेट (Marie Antoinette) के आने के बाद शाही दरबार का खर्च और बढ़ गया।
- सरकार ने जनता से ऋण लेना शुरू किया ताकि बढ़ते खर्च को पूरा किया जा सके।
- अठारहवीं सदी के दौरान कीमतें लगातार बढ़ती रहीं। एक ओर 50% जनसंख्या वृद्धि हुई, दूसरी ओर कृषि और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई।
- सरकार की कुल आय लगभग 472 मिलियन लिब्रे थी, लेकिन इसका आधा हिस्सा पुराने कर्ज चुकाने में चला जाता था। कई बार सरकार अपने कर्ज का भुगतान करने में असफल रही।
- मूल्य वृद्धि और जनता की तकलीफें - बढ़ती कीमतों ने लोगों की क्रय शक्ति (Buying Power) घटा दी, जिससे उनकी परेशानियाँ और बढ़ गईं।
- वहीं, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग (Privileged Sections) आम जनता की पीड़ा से बेखबर होकर अपने अधिकारों को बनाए रखने में लगा रहा। 1788 और 1789 में खराब फसल के कारण रोटी की कीमतें और बढ़ गईं।
- मजदूरी में किसान गाँव छोड़कर शहरों की ओर चले गए, लेकिन पेरिस जैसे बड़े शहरों में हालात और भी बदतर निकले।

दार्शनिकों की भूमिका (The Role of Philosophers)

अठारहवीं सदी के फ्रांस में कई क्रांतिकारी विचारक हुए, जिनमें वॉल्टेयर (Voltaire), रूसो (Rousseau), मोंटेस्क्यू (Montesquieu) और डिडरो (Diderot) प्रमुख थे।

इनके विचारों ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।

वॉल्टेयर (Voltaire) -

- उन्होंने कैथोलिक चर्च की आलोचना की। उनका मानना था कि मनुष्य का भाग्य स्वर्ग नहीं, बल्कि उसके अपने हाथों में है।
- उनके विचारों ने लोगों को चर्च और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के खिलाफ बिना किसी अपराधबोध के संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।
- **जॉन लॉक (John Locke)** - उन्होंने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार (Divine Rights of Monarchs) को नकारते हुए उनकी निरंकुश सत्ता का विरोध किया।

मोंटेस्क्यू (Montesquieu):

उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy) और शक्ति के विभाजन (Division of Powers) का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि संपूर्ण सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए।

रूसो (Rousseau) के विचार

- रूसो (Rousseau) ने लोकतंत्र (Democracy) और जनसत्ता (Popular Sovereignty) का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
- उनका मानना था कि शासन जनता की सहमति पर आधारित होना चाहिए।
- अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "सोशल कॉन्ट्रैक्ट" (Social Contract) में, उन्होंने शासक और जनता के बीच एक अनुबंध की बात की।
- उनके लेखन में यह विचार निहित था कि यदि जनता अपनी सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो उसे बदलने का अधिकार है।
- इस प्रकार, दार्शनिकों के विचार विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों और सामंती अधिकारों पर सीधा हमला थे।
- उन्होंने जनता को सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सरकार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।
- उन्होंने असंतोष को सही दिशा में केंद्रित किया और फ्रांसीसी क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- अमेरिकी क्रांति का उदाहरण (The Example of American Revolution)
- अमेरिका की 13 ब्रिटिश कॉलोनिजों के लोगों ने 1775 से 1783 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़कर ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त कर दिया।
- फ्रांस ने इस युद्ध में अमेरिकियों की सहायता की थी, जिससे युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांसीसी सैनिक अपने देश में गणतंत्र (Republic) के विचारों से प्रेरित होकर लौटे।
- इस दौरान फ्रांसीसी जनता भी अपने देश में विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों और निरंकुश राजतंत्र के प्रति असंतुष्ट हो रही थी।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संधियाँ - UNO, NATO और EU

संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO)

यह **लीग ऑफ नेशंस** के उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखने का प्रयास करना था, और कुल मिलाकर यह अपने दुर्भाग्यपूर्ण पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक सफल रहा है।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, मित्र राष्ट्रों के नेता भविष्य में युद्ध को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने के लिए कई बार मिले। 1941 में **रुजवेल्ट और चर्चिल** ने चार स्वतंत्रताओं के आधार पर अटलांटिक चार्टर तैयार किया। उनका मानना था कि इन्हीं स्वतंत्रताओं की कमी के कारण युद्ध होते हैं, और फैसला किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को इन विचारों को बढ़ावा देने और उनका पालन न करने वाले देशों पर दबाव डालने की जरूरत है। 1942 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा तैयार की। इसने 1919-39 के बीच के वर्षों में लीग ऑफ नेशंस की विफलता से सबक लेने का प्रयास किया। **रुजवेल्ट विशेष रूप से** संयुक्त राष्ट्र संगठन के विचार के प्रति उत्सुक थे। इस विचार पर 1943 और 1945 के बीच बैठकों की एक श्रृंखला में चर्चा की गई।

- **1943 मास्को** - USSR और चीन, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ, संयुक्त राष्ट्र के विचार का समर्थन करने के लिए सहमत हुए।
- **1944 डम्बर्टन ओक्स** - इस पर चर्चा कि संयुक्त राष्ट्र कैसे काम करेगा।
- **1945 याल्टा** - ब्रिटेन, अमेरिका और USSR योजनाओं पर सहमत हुए।

जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र की पहली बैठक 1946 में लंदन में हुई थी। 1952 में, संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयॉर्क में एक स्थायी मुख्यालय स्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्य भाग महासभा है। प्रत्येक देश, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, के पास एक वोट होता है। सभी प्रस्तावों को सफल होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, सुरक्षा परिषद है, जिसमें पांच स्थायी सदस्य और दो साल के लिए अन्य देशों के पांच अन्य सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक के पास वीटो की शक्ति होती है, वे सुरक्षा परिषद के किसी भी निर्णय को अवरुद्ध कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद त्वरित कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है:

- चार्टर के खिलाफ काम करने वाले देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध।
- **सैन्य हस्तक्षेप** - संयुक्त राष्ट्र के सदस्य शांति रक्षा बल में सैनिक योगदान करते हैं, जो लीग ऑफ नेशंस के पास नहीं था।

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख महासचिव होते हैं जिनका किसी देश या किसी अन्य संगठन के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती है।
इसके अलावा ये भी हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है।
- सामाजिक और आर्थिक परिषद जो विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के काम का समन्वय करती है, जिनमें से सबसे व्यापक रूप से ज्ञात हैं: **WHO, UNICEF, UNESCO और UNHCR**

संयुक्त राष्ट्र जिन मुख्य तरीकों से लीग ऑफ नेशंस से अलग है, वे हैं:

- संयुक्त राष्ट्र व्यक्तिगत मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें लीग शामिल नहीं था।
- संयुक्त राष्ट्र के पास लीग की तुलना में आर्थिक और मानव संसाधनों की बहुत बड़ी मात्रा है।
- **महासभा और सुरक्षा परिषद** की प्रक्रिया में बदलाव (विशेषकर शांति के लिए एकलुट प्रस्ताव) और सचिव के बड़े हुए अधिकार और प्रतिष्ठा ने संयुक्त राष्ट्र को लीग की तुलना में अधिक निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम बनाया है।
- संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता बहुत अधिक व्यापक है और इसलिए यह लीग की तुलना में एक वास्तविक विश्व संगठन है, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जबकि यह **लीग ऑफ नेशंस** में शामिल नहीं हुआ था।
- कोई भी देश महासभा के प्रस्तावों को **वीटो** नहीं कर सकता है।
- महासचिव को कुछ अधिक शक्तिशाली देशों के नहीं, बल्कि शांति के हित में कार्य करना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र बल का उपयोग कर सकता है और उसके पास एक स्थायी शांति रक्षा बल है।

संयुक्त राष्ट्र संगठन की संरचना

अब संयुक्त राष्ट्र के सात मुख्य अंग हैं:

महासभा:

महासभा संयुक्त राष्ट्र की मुख्य विचार-विमर्श सभा है। यह सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक साथ बैठक है; प्रत्येक सदस्य पांच प्रतिनिधियों तक भेज सकता है, हालांकि प्रति राष्ट्र केवल एक वोट होता है।

यह वर्ष में एक बार, सितंबर में शुरू होकर लगभग तीन महीने तक सत्र में रहता है, लेकिन संकट के समय में सदस्यों द्वारा या सुरक्षा परिषद द्वारा विशेष सत्र बुलाए जा सकते हैं। सभा का नेतृत्व एक राष्ट्रपति करता है, जो सदस्य राज्यों में से एक घूर्णन क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है, और 21 उपाध्यक्ष। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा करना और निर्णय लेना, संयुक्त राष्ट्र के बजट पर विचार करना और प्रत्येक सदस्य को कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए, सुरक्षा परिषद के सदस्यों का चुनाव

करना और कई अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के काम की निगरानी करना है।

सुरक्षा परिषद:

यह देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम करती है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग केवल सदस्य राज्यों को सिफारिशें कर सकते हैं, सुरक्षा परिषद के पास शक्ति है और इसका कार्य संकटों से निपटना है क्योंकि वे उत्पन्न होते हैं, जो भी कार्रवाई उचित लगती है, और यदि बाध्यकारी निर्णय लेना है कि सदस्य राज्य पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। यह स्थायी सत्र में बैठता है, यदि आवश्यक हो तो सदस्यों को किसी हमलावर के खिलाफ आर्थिक या सैन्य कार्रवाई करने के लिए बुलाता है। परिषद को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदनों को भी मंजूरी देनी होगी, जिसके लिए महासभा द्वारा स्वीकृति के वोट में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। परिषद ग्यारह सदस्यों के साथ शुरू हुई, जिनमें से पांच स्थायी (चीन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन) थे, और अन्य छह महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए थे। 1965 में गैर-स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर दस कर दी गई।

सचिवालय:

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का नेतृत्व महासचिव करते हैं, जिनकी सहायता दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवाओं का एक कर्मचारी करता है। यह संयुक्त राष्ट्र निकायों को उनकी बैठकों के लिए आवश्यक अध्ययन, जानकारी और सुविधाएं प्रदान करता है। यह सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा निर्देशित कार्यों को भी करता है।

अंतराष्ट्रीय न्यायालय:

अंतराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), नीदरलैंड के हेग में स्थित, संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है। **संयुक्त राष्ट्र चार्टर** द्वारा 1945 में स्थापित, न्यायालय ने 1946 में अंतराष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायालय के उत्तराधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया। ICJ का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के बीच विवादों का **निपटारा** करना है। न्यायालय ने युद्ध अपराधों, अवैध राज्य हस्तक्षेप, जातीय सफाई और अन्य मुद्दों से संबंधित मामलों की सुनवाई की है। ICJ को अन्य संयुक्त राष्ट्र अंगों द्वारा सलाहकार राय प्रदान करने के लिए भी कहा जा सकता है।

न्यास परिषद:

इसने **लीग ऑफ नेशंस मैट्रिक्स कमीशन** की जगह ली, जो मूल रूप से 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और तुर्की से लिए गए क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए अस्तित्व में आया था।

आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)

आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) अंतराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने में **महासभा** की सहायता करती है। इसमें **27 सदस्य** हैं, जो महासभा द्वारा तीन साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से एक तिहाई हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। अध्यक्ष एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और सदस्यों में से चुना जाता है।

अंतराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय (ICC)

जुलाई 1998 में संयुक्त राष्ट्र के 120 सदस्य राज्यों द्वारा रोम संविधि नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ताकि युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अन्य अपराधों से निपटने के लिए एक स्थायी अदालत बनाई जा सके। 18 निर्वाचित न्यायाधीशों से मिलकर बनी नई अदालत का औपचारिक रूप से मार्च 2003 में उद्घाटन किया गया था, और यह हेग में स्थित है।

संयुक्त राष्ट्र की सफलता और असफलता सफलताएँ

- सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण इसने किसी भी और विश्व युद्ध को होने से रोका है और अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इसने दुनिया को निश्चिंत करने और इसे परमाणु मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। '**आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि**' और '**परमाणु अप्रसार संधि**' जैसे विभिन्न संधि वार्ता संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हस्ताक्षरित किए गए हैं।
- एक ओर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद और दूसरी ओर रंगभेद के पतन में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध उनके पीछे एक मजबूत कारण थे।
- संयुक्त राष्ट्र ने **1948** में मानवाधिकारों की अपनी सार्वभौमिक घोषणा के तहत दुनिया के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सबसे आगे रहकर काम किया है।
- संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों जैसे WHO, UNICEF, UNESCO ने अंतरराष्ट्रीय सामाजिक क्षेत्र के परिवर्तन में उत्सुकता से भाग लिया है।
- शांति रक्षा अभियान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और शरणार्थी चिताएं हमेशा इसके मुख्य मुद्दों की सूची में रही हैं।
- विश्व निकाय अंतरराष्ट्रीय कानूनों और विश्व कानूनी ढांचे के संस्थागतकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और है।
- बच्चे, महिलाओं, जलवायु आदि पर विभिन्न सम्मेलनों और घोषणाओं का पारित होना अन्यथा राजनीतिक विश्व निकाय के अतिरिक्त-राजनीतिक मामलों को उजागर करता है। इसने सर्बिया, यूगोस्लाविया और बाल्कन क्षेत्रों में स्थिति को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है।

असफलताएँ

- विश्व निकाय दुनिया की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने में विफल रहा है। स्वयं लोकतांत्रिक हुए बिना, यह दुनिया के लोकतंत्रीकरण की बात करता है।
- औद्योगिक देशों पर वित्तीय निर्भरता ने कई बार संयुक्त राष्ट्र को तटस्थता और निष्पक्षता से विचलित कर दिया है।
- एकध्रुवीयता और एकतरफावाद ने वर्तमान में विश्व निकाय की प्रासंगिकता को हिला दिया है। उदाहरण के लिए, इराक में एकतरफा कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी से रहित थी।
- दुनिया में परमाणु शक्तियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। संयुक्त राष्ट्र हथियारों और हथियारों के क्षैतिज विस्तार और प्रसार को नियंत्रित नहीं कर सका।
- क्यूबा मिसाइल संकट, वियतनाम संकट आदि जैसे सबसे बुरे संकटों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोई ज़ोरदार भूमिका नहीं निभाई गई है।
- यह अब तक बिगड़ते विश्व जलवायु की रक्षा के लिए सार्वभौमिक सहमति उत्पन्न करने में विफल रहा है।
- इराक और अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में एक सक्रिय संयुक्त राष्ट्र के बावजूद अराजकता जैसी स्थिति है। अमेरिकी वापसी की योजना क्षेत्र में कोई विशेष समाधान लाने में सक्षम नहीं रही है। वास्तव में, स्थिति और भी बिगड़ गई है।
- संयुक्त राष्ट्र इराक पर सामूहिक विनाश के हथियारों के नाम पर अमेरिकी आक्रमण के मामले में पूरी तरह से उजागर हो गया था, जो नहीं मिले। अमेरिका ने अपने लड़ाकू बलों को वापस ले लिया है, लेकिन इराक में कानून और व्यवस्था और आपसी अविश्वास और बिगड़ गया है और इस समय संयुक्त राष्ट्र असमंजस में दिखाई देता है।

भारत और संयुक्त राष्ट्र

भारत संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों में से था, जिसने 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का दृढ़ता से समर्थन करता है और चार्टर के लक्ष्यों को लागू करने और संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सकारात्मक:

- 1947-1948 की शुरुआत से, इसने मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा तैयार करने में सक्रिय भाग लिया, "सभी पुरुष समान बनाए गए हैं" से "सभी पुरुष और महिलाएं समान बनाए गए हैं" मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा की भाषा को बदलकर लैंगिक समानता को दर्शाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- 1953 में, उस समय भारत की मुख्य प्रतिनिधि, विजया लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। भारत ने वैश्विक निरस्त्रीकरण और हथियारों की दौड़ को समाप्त करने और अधिक न्यायसंगत

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की दिशा में संघर्ष का समर्थन किया।

- सदियों से उपनिवेशवाद की दुर्दशा का सामना करने के बाद, भारत ने विउपनिवेशीकरण और एक "मुक्त दुनिया" के गठन पर बहुत मजबूत रुख अपनाया, जहां कोई भी देश दूसरे द्वारा दास नहीं है और हर देश को अपनी स्वायत्तता बनाए रखने और अपनी संप्रभुता को संरक्षित करने की अनुमति है। औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता देने पर संयुक्त राष्ट्र ने 1960 घोषणा को सह-प्रायोजित करने के माध्यम से, जिसने अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में बिना शर्त उपनिवेशवाद को समाप्त करने की आवश्यकता की घोषणा की, भारत ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। इसे उपनिवेशीकरण समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, जहां उपनिवेशवाद को समाप्त करने के इसके अथक प्रयासों की सराहना की गई है।
- भारत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के सबसे मुख्य आलोचकों में से भी था। वास्तव में, यह संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था और महासभा द्वारा गठित रंगभेद के खिलाफ एक उप-समिति के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जब 1965 में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को अपनाया गया, तो भारत सबसे पहले हस्ताक्षरकर्ताओं में से था।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन और ग्रुप ऑफ 77 के संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर विकासशील देशों की चिंताओं और आकांक्षाओं के एक प्रमुख समर्थक के रूप में और अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया।

नकारात्मक पहलू

- भारत की संयुक्त राष्ट्र सुधारों में सक्रिय भागीदारी को एक बड़ा झटका 1962-1976 के बीच लगा, जब भारत ने चीन के साथ युद्ध लड़ा और इसके बाद पाकिस्तान के साथ दो युद्धों में शामिल हुआ। यह आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता और पूरे भारत में अकाल जैसी स्थितियों का दौर था।
- परिस्थितियों ने देश को संयुक्त राष्ट्र में कम-प्रोफाइल बनाए रखने और केवल भारतीय हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर ही बोलने के लिए मजबूर किया।
- जल्द ही, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण एजेंडे ने एक और चिढ़ पैदा की, जिसने भारत को संगठन के कुछ हिस्सों को नापसंद करने पर मजबूर किया, जो सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के बजाय भेदभावपूर्ण शासन लागू कर रहे थे। उस समय के भारत के विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने टिप्पणी की थी, "यदि भारत ने एनपीटी (न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो यह उसकी निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता की कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि हम

एनपीटी को एक दोषपूर्ण संधि मानते हैं और यह सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण सत्यापन और उपचार की आवश्यकता को पहचानता नहीं है।"

समकालीन प्राथमिकताएँ: संयुक्त राष्ट्र सुधार

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महत्ता पर जोर दिया है, जो एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। भारत अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है, ताकि **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** के लिए एक सार्थक पुनर्गठन और विस्तार के लिए समर्थन जुटाया जा सके। यह तर्क उठाए गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब भी द्वितीय विश्व युद्ध की भूराजनैतिक संरचना को दर्शाती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 113 से बढ़कर 193 हो गई है, UNSC का विस्तार केवल एक बार हुआ है, वह भी 1963 में, जब 4 अस्थायी सदस्य जोड़े गए थे। अफ्रीका से देशों को स्थायी सदस्यता में कोई स्थान नहीं मिला, जबकि UNSC का 75% कार्य अफ्रीका में केंद्रित है।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के मामले को जोरदार तरीके से पेश किया है, जो इसके संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में विशेष रूप से **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा** बनाए रखने में व्यापक योगदान पर आधारित है।

अब तक भारत ने 43 शांति सैनिक मिशनों में भाग लिया है, जिसमें कुल मिलाकर 160,000 से अधिक सैनिकों और एक महत्वपूर्ण संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 2014 में **भारत तीसरा सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता था**, जिसने दस संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक मिशनों में 7,860 कर्मी तैनात किए।

जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, जीडीपी, राजनीतिक प्रणाली आदि जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंड भी भारत की विस्तारित UNSC की **स्थायी सदस्यता** के लिए उपयुक्तता की ओर इशारा करते हैं। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उपनिवेशवाद और रंगभेद के अंत जैसे कई सुधारों के पीछे प्रेरक शक्ति रहा है। इसने हमेशा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर मजबूत रुख अपनाया है और वैश्विक महत्व के मुद्दों के बारे में सक्रिय रूप से बात की है।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ पश्चिमी यूरोपीय देश सभी स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए साम्यवाद से पैदा हो रहे बढ़ते खतरे से डरे हुए थे। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जेमबर्ग ने 17 मार्च, 1948 को ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए, और एक सैन्य रक्षात्मक गठबंधन बनाया। इस बीच **साम्यवादियों ने चेकोस्लोवाकिया** पर नियंत्रण कर लिया, और **सोवियत संघ ने बर्लिन नाकेबंदी** (जून, 1948 से मई, 1949 तक) लागू कर दी।

ब्रुसेल्स संधि के हस्ताक्षरकर्ता चाहते थे कि अमेरिका उन्हें सोवियत विस्तारवाद से पैदा खतरे से बचाए। उन्होंने एक सैन्य गठबंधन के लिए अमेरिका के साथ बातचीत की जिसके परिणामस्वरूप 4 अप्रैल, 1949 को वाशिंगटन, डीसी में **उत्तर अटलांटिक संधि** पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि एक के खिलाफ सशस्त्र हमले को सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा।"



- हिंदू कोड बिल पर जनसभा में बहस के दौरान, हिंदू समुदाय के बड़े हिस्से ने इसका विरोध किया और बिल के खिलाफ रैलियां आयोजित की। कई संगठन इस बिल का विरोध करने के लिए बने और हिंदू समुदाय में विशाल मात्रा में साहित्य वितरित किया गया।
- राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल, एस मुखर्जी जैसे नेताओं ने इस बिल का जोरदार विरोध किया।
- विरोध करने वाले नेताओं की मुख्य चिंता यह थी कि सरकार को केवल हिंदू कोड बिल नहीं, बल्कि **समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)** को लागू करना चाहिए।

अध्याय - 10

उपनिवेश से लोकतंत्र तक

चुनावी राजनीति का उदय

अभूतपूर्व निरक्षर आबादी, विविधताओं, खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद, राष्ट्रीय नेतृत्व भारत को समेकित करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों को अपनाने के संबंध में बड़े असमंजस में नहीं था।

ऐसी गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए, विभिन्न देशों के अन्य नेताओं ने शासन के एक रूप के रूप में लोकतंत्र का विरोध किया। उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले विभिन्न देशों के नेताओं के अनुसार, उनकी प्राथमिकता राष्ट्रीय एकता थी, जो लोकतंत्र के साथ कायम नहीं रहेगी क्योंकि इससे मतभेद और संघर्ष होंगे। इसलिए, हमने नव स्वतंत्र देशों में बहुत से गैर-लोकतांत्रिक शासन देखे हैं।

जबकि राजनीति के बारे में प्रतिस्पर्धा और शक्ति दो सबसे दृश्यमान चीजें हैं, **राजनीतिक गतिविधि का इरादा सार्वजनिक हित का फैसला करना और उसे आगे बढ़ाना होना चाहिए।** यही वह मार्ग है जिसका अनुसरण हमारे नेताओं ने करने का फैसला किया।

भारत- लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र -

26 जनवरी, 1950 को संविधान अपनाने के बाद, देश की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार स्थापित करना आवश्यक था। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी **1950 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव** कराने के लिए एक संवैधानिक प्रावधान के साथ की गई थी। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने।

भारत ने लोकतंत्र का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मॉडल अपनाया है, जहाँ निर्धारित आयु की शर्तों वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार है।

चुनाव आयोग ने जल्द ही महसूस किया कि भारत के आकार के देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना एक कठिन काम है।

पहले **आम चुनाव की तैयारी** एक बहुत बड़ा काम था। इस पैमाने का कोई चुनाव दुनिया में पहले कभी नहीं कराया गया था। उस समय 17 करोड़ पात्र मतदाता थे, जिन्हें लोकसभा के लगभग 489 सांसदों और राज्य विधानसभाओं के 3200 विधायकों का चुनाव करना था।

इन पात्र मतदाताओं में से केवल 15% साक्षर थे। इसलिए चुनाव आयोग ने मतदान के कुछ विशेष तरीके मांगे, जैसे कि उम्मीदवारों को प्रतीकों द्वारा पहचाना जाना था, प्रत्येक प्रमुख पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवारों को सौंपा गया, मतपत्रों पर एक विशेष उम्मीदवार को आवंटित बॉक्स में चित्रित किया गया और मतपत्र गुप्त था।

चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से अधिक अधिकारियों और मतदान कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। लोकतंत्र ने पहले चुनावों के साथ एक विशाल कदम आगे बढ़ाया जो दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग था। कई लोग संशय में थे कि जातिग्रस्त, बहु-धार्मिक, निरक्षर और पिछड़े समाज जैसे भारत में लोकतांत्रिक चुनाव कराए जा रहे हैं।

चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग चार महीनों तक चले। चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र, निरपेक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराए गए, जिसमें बहुत कम हिंसा हुई।

चुनाव और नए राजनीतिक व्यवस्था पर लोगों की प्रतिक्रिया-

- नए राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। वे इस बात को अच्छी तरह समझते हुए मतदान में भाग लेते थे कि उनका वोट एक अमूल्य संपत्ति है।
- कुछ स्थानों पर लोग मतदान को एक त्यौहार के रूप में मानते थे और त्यौहारों के कपड़े पहनते थे, महिलाएं अपनी ज्वेलरी पहनकर आती थीं।
- गरीबी और अशिक्षा की उच्च दर के बावजूद, जो अमान्य वोट डाले गए थे, उनकी संख्या 3% से 0.4% तक थी।
- एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी: कम से कम 40% योग्य महिलाएं वोट डालीं। इस प्रकार, नेतृत्व का जनता में विश्वास पूरी तरह से सही साबित हुआ। जब चुनाव परिणाम घोषित किए गए, तो यह महसूस किया गया कि लगभग 46% योग्य मतदाताओं ने वोट डाला था।

पहले स्वतंत्र भारत के चुनाव में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियाँ-

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी
- किसान मजदूर प्रजा पार्टी
- कम्युनिस्ट और उनके सहयोगी
- जन सिंह
- हिन्दू महासभा
- आरआरपी [राम राज्य परिषद]
- अन्य स्थानीय पार्टियाँ
- स्वतंत्र उम्मीदवार

परिणाम-

- कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ लोकसभा के लिए कुल वोटों का 45% प्राप्त करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।

- कांग्रेस ने सभी राज्यों और केंद्र में सरकार बनाई। हालांकि, चार राज्यों - मद्रास, त्रावणकोर-कोचिन, उड़ीसा, और PEPSU में यह अकेले बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन उसने स्वतंत्र और छोटे स्थानीय दलों की मदद से वहां सरकारें बनाई, जो बाद में कांग्रेस में मिल गईं।
- कम्युनिस्टों का प्रदर्शन एक बड़ा आश्चर्य था और वे लोकसभा में दूसरे सबसे बड़े समूह के रूप में उभरे।
- कुछ हिस्सों में राजा और बड़े जमींदारों का अब भी बहुत प्रभाव था।
- उनकी पार्टी गणतंत्र परिषद ने उड़ीसा विधानसभा में 31 सीटें जीतीं। कांग्रेस की संख्यात्मक रूप से प्रमुख स्थिति के बावजूद, विपक्ष संसद में काफी प्रभावी था।
- **राजनीतिक भागीदारी** के अन्य रूप जैसे ट्रेड यूनियन, किसान सभा, हड़ताल, बंद, प्रदर्शन और धरने मध्य वर्ग, संगठित श्रमिक वर्ग और समृद्ध तथा मध्य वर्ग के किसानों के हिस्सों के लिए उपलब्ध थे। चुनाव व्यापक ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए सीधे राजनीतिक भागीदारी का मुख्य रूप थे।
- 1952 के बाद, नेहरू के शासनकाल में, 1957 और 1962 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए दो अन्य आम चुनाव हुए। 1957 में मतदाताओं का प्रतिशत 47% तक और 1962 में 54% तक पहुंच गया। इन दोनों चुनावों में कांग्रेस ने फिर से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार बनाई।
- हालांकि, 1957 में, कम्युनिस्टों ने केरल में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की, जो दुनिया में कहीं भी पहली बार चुनी गई लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार थी।

निष्कर्ष-

- चुनावों का निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन यह संकेत था कि लोकतांत्रिक प्रणाली और संस्थाएँ, जो राष्ट्रीय आंदोलन की धरोहर थीं, अब जड़ें जमा रही थीं।
- चुनावों के सफल संचालन ने एक कारण दिया था कि भारत और नेहरू को विदेशों में, विशेषकर उपनिवेशों से स्वतंत्र हुए देशों में, सराहा गया।
- राजनीतिक नेतृत्व ने चुनावों का उपयोग राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और अपनी एकता की नीतियों को वैधता प्रदान करने के लिए किया। अशोक मेहता ने कहा, "संसद ने राष्ट्र को एकजुट करने में महान भूमिका निभाई।"

सरकारों और प्रधानमंत्री की सूची (1947-2024) -

नाम	जन्म-मृत्यु	कार्यकाल	टिप्पणी
जवाहरलाल नेहरू	(1889-1964)	5 अगस्त 1947 - 27 मई 1964	16 साल, 286 दिन। भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री, कार्यालय में रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले पीएम
गुलज़ारीलाल नंदा	(1898-1998)	27 मई 1964 - 9 जून 1964	13 दिन। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री

लाल बहादुर शास्त्री	(1904-1966)	9 जून 1964 - 11 जनवरी 1966	1 साल, 216 दिन 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया
इंदिरा गांधी	1917-1984	24 जनवरी 1966 - 24 मार्च 1977	11 साल, 59 दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई	(1896-1995)	24 मार्च 1977 - 28 जुलाई 1979	2 साल, 116 दिन 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति और पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यालय से इस्तीफा दिया
चरण सिंह	(1902-1987)	28 जुलाई 1979 - 14 जनवरी 1980	170 दिन केवल प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया
इंदिरा गांधी	(1917-1984)	14 जनवरी 1980 - 31 अक्टूबर 1984	4 साल, 291 दिन प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यकाल सेवा करने वाली पहली महिला
राजीव गांधी	(1944-1991)	31 अक्टूबर 1984 - 2 दिसंबर 1989	5 साल, 32 दिन 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति
वी. पी. सिंह	(1931-2008)	2 दिसंबर 1989 - 10 नवंबर 1990	1 343 दिन पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया
चंद्रशेखर	(1927-2007)	10 नवंबर 1990 - 21 जून 1991	223 दिन वे समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे
पी. वी. नरसिंह राव	(1921-2004)	21 जून 1991 - 16 मई 1996	4 साल, 330 दिन दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी	(1924 - 2018)	16 मई 1996 - 1 जून 1996	16 दिन सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री
एच. डी. देवगौड़ा	जन्म 1933	1 जून 1996 - 21 अप्रैल 1997	324 दिन वे जनता दल से संबंधित थे
इंद्र कुमार गुजराल	(1919-2012)	21 अप्रैल 1997 - 19 मार्च 1998	332 दिन
अटल बिहारी वाजपेयी	(1924 - 2018)	19 मार्च 1998 - 22 मई 2004	6 साल, 64 दिन पहले गैर-कांग्रेस प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरी अवधि तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया
मनमोहन सिंह	1932 - 2024	22 मई 2004 - 26 मई 2014	10 साल, 4 दिन पहले सिख प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी	जन्म 1950	26 मई 2014, वर्तमान	भारत के चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने दो लगातार कार्यकाल पूरे किए, तीसरी बार प्रधानमंत्री साल 2024 में

लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना

- इस अवधि में न्यायालयों की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया।
- संसद का सम्मान किया गया और इसके सम्मान, प्रतिष्ठा और शक्ति को बनाए रखने की कोशिश की गई।
- संसद की समितियाँ जैसे कि 'एस्टिमेट्स कमेटी/प्राक्कलन समिति' ने सरकार के प्रशासन की आलोचना करने और उसकी निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- नेहरू के नेतृत्व में, कैबिनेट प्रणाली एक स्वस्थ तरीके से विकसित हुई और प्रभावी रूप से कार्य किया।
- संविधान में जो संघीयता का प्रावधान था, वह इन वर्षों में भारतीय राजनीति का एक ठोस हिस्सा बन गया, जिसमें राज्यों को शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया।

- सशस्त्र बलों पर नागरिक सरकार की सर्वोच्चता की परंपरा पूरी तरह से स्थापित हुई।

प्रशासनिक नियंत्रण

- प्रशासनिक संरचना की **रीढ़ भारतीय सिविल सर्विस (ICS)** थी।
- सरदार पटेल का मानना था कि मौजूदा प्रशासनिक तंत्र को बनाए रखना जरूरी था। वे अचानक प्रशासन में टूट या शून्यता के पक्षधर नहीं थे, विशेषकर ICS के मामले में।
- एक प्रशिक्षित, बहुपरकारी और अनुभवी सिविल सेवाओं का होना भारत के लिए एक विशिष्ट संपत्ति और लाभ था।
- नेहरू युग की एक बड़ी उपलब्धि विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में थी।
- विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व को समझाने के लिए, नेहरू ने स्वयं वैज्ञानिक और **औद्योगिक अनुसंधान**

अध्याय - 24

भारत में सांप्रदायिक घटनाएं

- सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब किसी धर्म को राष्ट्रीय एकता और पहचान का आधार माना जाता है।
- सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित होती है कि धर्म सामाजिक समुदाय (सोशल कम्युनिटी) का मुख्य आधार है।
- सांप्रदायिकता हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और आज भी बनी हुई है।
- भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था, इसलिए उन्होंने भारत का कोई आधिकारिक धर्म घोषित करने से परहेज किया और सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान की।
- यहां हम कुछ प्रमुख सांप्रदायिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे।

अयोध्या विवाद (1990 का दशक)

- बाबरी मस्जिद को लेकर कई दशकों से विवाद चल रहा था। यह मस्जिद मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ताशकंदी द्वारा अयोध्या में बनवाई गई थी।
- कुछ हिंदुओं का मानना था कि यह भगवान राम के जन्मस्थान पर बने एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।
- यह मामला अदालत में पहुंचा और 1990 के दशक के अंत में मस्जिद को बंद कर दिया गया क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
- फरवरी 1986 में, फैजाबाद जिला अदालत ने आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद परिसर को हिंदुओं के लिए खोल दिया जाए ताकि वे वहां स्थापित मूर्ति की पूजा कर सकें, जिसे वे एक मंदिर मानते थे।
- इसके बाद, दोनों पक्षों में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण शुरू हो गया और धीरे-धीरे यह स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया।
- दिसंबर 1992 में, विश्व हिंदू परिषद (VHP), बजरंग दल और अन्य हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े कई कारसेवक अयोध्या पहुंचे।
- इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि विवादित स्थल को कोई नुकसान न पहुंचे।
- हालांकि, 6 दिसंबर 1992 को हजारों लोगों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद देश भर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई।
- तत्कालीन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया और मस्जिद विध्वंस की परिस्थितियों की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया।

- यह मामला कई वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा और अंततः 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
- मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाया जाएगा और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि दी जाएगी।

गुजरात दंगे, 2002

- फरवरी और मार्च 2002 में, गुजरात ने अपनी इतिहास के सबसे भयावह सांप्रदायिक दंगों में से एक को देखा।
- इन दंगों की चिंगारी गोधरा स्टेशन पर लगी, जहां अयोध्या से लौट रही ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी गई, जिसमें कारसेवक सवार थे।
- इस घटना को मुस्लिम समुदाय की साजिश मानते हुए, गुजरात के कई हिस्सों में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई।

असम हिंसा (2012)

- बोडो समुदाय और बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय के बीच जीवनयापन, भूमि और राजनीतिक शक्ति को लेकर बार-बार संघर्ष होते रहे हैं।
- 2012 में कोकराझार जिले में इसी तरह की हिंसा ने दंगे का रूप ले लिया, जब कुछ अज्ञात लोगों ने जॉयपुर में चार बोडो युवाओं की हत्या कर दी।
- इसके बाद स्थानीय मुस्लिमों पर जवाबी हमले हुए, जिनमें दो लोग मारे गए और कई घायल हुए।
- इस हिंसा में लगभग 80 लोगों की मौत हुई, जिनमें से ज्यादातर बांग्ला भाषी मुस्लिम थे और कुछ बोडो समुदाय से थे।
- लगभग 4,00,000 लोग इस दंगे के कारण विस्थापित होकर अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हुए।

मुजफ्फरनगर दंगे (2013)

- उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हिंदू जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच हुई हिंसा में कम से कम 62 लोगों की मौत हुई, 93 लोग घायल हुए और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए।
- इस दंगे को "उत्तर प्रदेश के हालिया इतिहास में सबसे भयावह हिंसा" कहा गया है।
- इस हिंसा को काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया, जो पिछले 20 वर्षों में राज्य में पहली बार हुआ था।

दिल्ली दंगे, 2019

- नई दिल्ली ने अपनी इतिहास की सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा में से एक का सामना किया।
- दिल्ली 2020 के दंगों का मूल कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर

(NRC) के संदर्भ में बढ़ती शत्रुता और सांप्रदायिक सौहार्द का अस्थिर होना माना जाता है।

भोपाल गैस त्रासदी, 1984

- 1970 में, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL), जो कि एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड एंड कार्बन कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी थी, ने भोपाल में एक कीटनाशक संयंत्र स्थापित किया।
- इस संयंत्र में "सेविन" (Carbaryl) नामक कीटनाशक का उत्पादन किया जाता था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) का उपयोग किया जाता था।
- 1976 से ही संयंत्र से कई बार गैस रिसाव की घटनाएं हुई थीं, लेकिन प्रबंधन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।
- 2-3 दिसंबर 1984 की रात को, संयंत्र में संग्रहीत लगभग 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस रिसकर हवा में फैल गई, जिससे हजारों लोग तुरंत मारे गए और हजारों अन्य लोग जान बचाने के लिए भोपाल से भागने लगे।
- उस समय, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री और अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
- यह रासायनिक आपदा न केवल भारत की, बल्कि उस समय तक की विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस त्रासदी में 2259 लोगों की मृत्यु हुई, 5.6 लाख लोग घायल हुए और कई स्थायी रूप से अपंग हो गए।
- हालांकि, गैर-सरकारी स्रोतों के अनुसार मृतकों की संख्या लगभग 20,000 थी।
- लगभग 5 लाख लोग सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन, अंधापन और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हुए।
- 2004 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह भोपाल के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए क्योंकि भूजल प्रदूषित हो गया था।
- 2010 में, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कई पूर्व अधिकारियों को भोपाल की एक अदालत ने इस आपदा में लापरवाही का दोषी ठहराया।

शाह बानो केस

- शाह बानो, जो कि इंदौर की 62 वर्षीय मुस्लिम महिला और पांच बच्चों की मां थीं, को 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया। उन्होंने अपने पति से गुजारा भत्ता (maintenance) की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
- सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 का हवाला दिया, जो सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों। अदालत ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।
- यह मामला ऐतिहासिक माना गया क्योंकि इसने परंपरागत व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) के बजाय समान

नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

- फैसले ने धार्मिक सिद्धांतों से परे जाकर लैंगिक समानता (Gender Equality) और महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखने की जरूरत को भी उजागर किया।
- लेकिन यह फैसला बहुत विवादास्पद बन गया और मुस्लिम समुदाय के कई वर्गों से विरोध प्रदर्शन होने लगे।
- मुस्लिम संगठनों ने इसे उनके धार्मिक कानूनों और उनके व्यक्तिगत अधिकारों पर हमला बताया। इस विरोध का नेतृत्व "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड" ने किया।
- मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
- मुस्लिम समुदाय के दबाव में, राजीव गांधी सरकार ने एक कानून पेश किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया।
- संसद ने "मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986" पारित किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अमान्य कर दिया।
- इस अधिनियम के अनुसार, तलाकशुदा महिला को केवल 90 दिनों (इद्दत की अवधि) तक ही भरण-पोषण (maintenance) देने का प्रावधान था, जैसा कि इस्लामिक कानून में कहा गया है।
- इसलिए, पति की भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी केवल इद्दत की अवधि तक सीमित कर दी गई।
- इस कानून की कई विशेषज्ञों ने कड़ी आलोचना की, क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई का एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसके बजाय, इसने मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली असमानता और शोषण को ही बनाए रखा।
- सुप्रीम कोर्ट के समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने के निर्देश के बजाय, सरकार ने कानून में संशोधन कर अदालत के फैसले को पलट दिया।
- विपक्षी दलों ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे मुस्लिम तुष्टिकरण (Muslim Appeasement) और वोट बैंक राजनीति करार दिया।

बोफोर्स घोटाला

- राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान एक और बड़ा मामला रक्षा सौदों से जुड़ा एक राजनीतिक घोटाला था।
- 1980 और 1990 के दशक में, स्वीडन स्थित कंपनी "बोफोर्स" (Bofors) ने भारतीय सेना को 410 होवित्जर तोपों (Howitzers) की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध जीता। यह स्वीडन के इतिहास में सबसे बड़ा हथियार सौदा था, जिसके लिए विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग इस अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए किया गया।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई राजनेताओं, जिनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी शामिल थे, पर आरोप लगे कि उन्होंने इस सौदे में अवैध कमीशन लिया था। इस अनुबंध की कुल कीमत 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर थी।

Dear Aspirants, here are the our results in differents exams

(Proof Video Link) 

RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न , 150 में से)

UP Police Constable 2024 - <http://surl.li/rbfyn> (98 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>

Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKjl4nSxE>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gz2fJyt6vI>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp <https://wa.link/6bx90g> 1 web.- <https://shorturl.at/5gSVX>

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1 st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

whatsapp <https://wa.link/6bx90g> 2 web.- <https://shorturl.at/5gSVX>